



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2017/चैत्र 10, 1939

No. 130]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2017/CHAITRA 10, 1939

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2017

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017

सं. आईबीबीआई/2016-17/जीएन/आरईजी 010.- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 59, धारा 196 और धारा 240 के साथ पठित धारा 208 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह बोर्ड निम्नलिखित विनियमन बनाता है, अर्थात् -

अध्याय I

प्रारंभिक

1. लघु शीर्ष और प्रारंभ:

- (1) इन विनियमनों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियमन 01 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त होंगे:
- (3) ये विनियमन दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के भाग-II के अध्याय-V के अधीन कारपोरेट व्यक्तियों की स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के लिए लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.

(1) इन विनियमनों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (क) "संहिता" से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 अभिप्रेत है;

- (ख) “अंशदाता” से कंपनी का एक सदस्य, सीमित देयता भागीदारी का भागीदार, या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जो कारपोरेट व्यक्ति के समापन की स्थिति में कारपोरेट व्यक्ति की आस्तियों के प्रति अंशदान करने का दायी है;
- (ग) “समापन प्रारंभ की तारीख” से वह तारीख अभिप्रेत है जब धारा 59(5) और विनियम 3(4) के अनुसार स्वैच्छिक समापन की कार्यवाही प्रारंभ होगी;
- (घ) “रजिस्ट्रार” का वह आशय होगा जो इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(75) या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2(1)(घ) में दिया गया है या इसका आशय इस अधिनियम का प्रशासन करने वाला प्राधिकारी होगा जिसके अधीन कारपोरेट व्यक्ति का निगमन किया गया हो, जो भी लागू हो;
- (ङ) “धारा” से इस संहिता की धारा से अभिप्रेत है; और
- (च) “पक्षकार” से ऐसे पक्षकार अभिप्रेत हैं जो धारा 53 के अधीन समापन आस्तियों की बिक्री से होने वाली आय के हकदार हैं।
- (2) इन विनियमों में समापन शब्द का आशय स्वैच्छिक समापन से है।
- (3) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिन्हें इस संहिता में परिभाषित किया गया है, के वही आशय होंगे जो उन्हें इस संहिता में दिया गया है।

अध्याय-II

समापन का प्रारंभ

3. समापन प्रारंभ.

- (1) धारा 59(2) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी कारपोरेट व्यक्ति की समापन कार्यवाही में निम्नलिखित निबंधन पूरे करने होंगे, अर्थात्:-
- (क) इनके बहुमत से एक घोषणा-पत्र
- (i) यदि कारपोरेट व्यक्ति एक सीमित देयता भागीदारी है, तो नामनिर्दिष्ट भागीदार,
- (ii) अन्य कारपोरेट व्यक्तियों के मामले में शासी परिषद् में शामिल व्यक्ति,
- जैसा भी मामला हो, जिसे यह कथन करते हुए एक शपथनामा द्वारा सत्यापित किया जाए, कि-
- (i) उन्होंने कारपोरेट व्यक्ति के मामलों की पूरी जांच कर ली है और यह मत बनाया है कि कारपोरेट व्यक्ति पर कोई ऋण नहीं है या वह समापन में बिक्री की जाने वाली आस्तियों की आय से पूरा ऋण चुका सकेगा; और
- (ii) वह कारपोरेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को धोखा देने के आशय से समापन नहीं कर रहा है;
- (ख) उपखंड (क) के अधीन घोषणा-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगाए जाएंगे, अर्थात्:-
- (i) कारपोरेट व्यक्ति के पूर्ववर्ती दो वर्षों या उसके निगमन से उस समय तक की अवधि, इनमें से जो बाद में हो, के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय कथन और व्यापार परिचालन के रिकार्ड;
- (ii) कारपोरेट व्यक्ति की आस्तियों के मूल्यांकन की रिपोर्ट, यदि किसी पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा तैयार की गई हो;
- (ग) उप-खंड (क) के अधीन घोषणा-पत्र के चार सप्ताह के अंदर किया जाएगा-

- (i) कारपोरेट व्यक्ति के भागीदारों या अंशदाताओं, जैसा भी मामला हो, के विशेष बहुमत द्वारा एक संकल्प पारित किया जाना जिसमें कारपोरेट व्यक्ति के लिए समापन किया जाना और परिसमापक के रूप में किसी दिवाला व्यवसायिक को नियुक्त करना अपेक्षित होगा; या
- (ii) कारपोरेट व्यक्ति के भागीदारों या अंशदाताओं, जैसा भी मामला हो, का एक संकल्प जिसमें उसके कानूनी दस्तावेजों द्वारा निर्धारित कार्यकाल, यदि हो, तो उसके समाप्त हो जाने पर या ऐसी कोई दशा होने पर जिसके संबंध में कानूनी दस्तावेज में प्रावधान हो कि कारपोरेट व्यक्ति का विघटन हो जाएगा, जैसा भी मामला हो, कारपोरेट व्यक्ति के लिए समापन किया जाना और परिसमापक के रूप में दिवाला व्यावसायिक नियुक्त करना अपेक्षित होगा:

परंतु कि यदि कारपोरेट व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का कोई ऋण चुकाना है, तो कारपोरेट व्यक्ति के ऋण के मूल्य में दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करने वाले लेनदार उप-खंड (ग) के अधीन संकल्प पारित होने के सात दिन के अंदर इस संकल्प को अनुमोदित करेंगे।

- (2) कारपोरेट व्यक्ति उक्त संकल्प के सात दिन के अंदर कारपोरेट व्यक्ति के समापन के लिए उप-विनियम (1) के अधीन संकल्प या लेनदारों द्वारा बाद में दिए गए अनुमोदन जैसा भी मामला हो, के संबंध में रजिस्ट्रार और बोर्ड को सूचित करेगा।
- (3) उप-विनियम (2) के अंतर्गत लेनदारों के अनुमोदन के अधीन कारपोरेट व्यक्ति के संबंध में समापन (प्रक्रिया) उप-विनियम (1) के उप-खंड (ग) के अधीन संकल्प पारित करने की तारीख से आरंभ कर दी गई मानी जाएगी:

स्पष्टीकरण: इस उप-विनियमन (1) से (3) के प्रयोजनों के लिए कारपोरेट व्यक्ति का आशय कंपनी को छोड़कर अन्य कारपोरेट व्यक्ति से है।

4. उप-विनियमन 1(क) अथवा 59(3) के अधीन की गई घोषणा में कारपोरेट व्यक्ति उस तारीख के सभी ऋणों का विवरण देते हुए यह कहेगा कि वह समापन में 7वें आस्तियों की प्राप्ति से उसके सभी ऋणों के पूर्ण भुगतान में समर्थ होगा, उस तारीख को कारपोरेट व्यक्ति के सभी ऋणों की पहचान करेगा।

4. समापन का प्रभाव.

- (1) कारपोरेट व्यक्ति समापन प्रारंभ होने की तारीख से अपने व्यापार के लाभकारी समापन के लिए अपेक्षित कार्यकलापों को छोड़कर अपना अन्य व्यापार परिचालन बंद कर देगा।
- (2) उप-धारा (1) के प्रावधानों के होते हुए भी, कारपोरेट व्यक्ति धारा 59(8) के अधीन अपना विघटन होने तक बना रहेगा।

अध्याय-III

परिसमापक की नियुक्ति और पारिश्रमिक

5. परिसमापक की नियुक्ति.

- (1) किसी कारपोरेट व्यक्ति द्वारा कोई दिवाला परिसमापक तभी नियुक्त किया जाएगा जबकि वह विनियमन 6 के अधीन पात्र हो।
- (2) विनियमन 3(2)(ग) या धारा 59(3)(ग), जैसा भी मामला हो, के अधीन पारित संकल्प में परिसमापक की नियुक्ति की शर्तें व निबंधन तथा उसे दिए जाने वाले पारिश्रमिक का उल्लेख किया जाएगा।

6. परिसमापक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्रता.

- (1) कोई दिवाला व्यवसायिक, परिसमापक के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जबकि वह और जिस दिवाला व्यवसायिक संस्था का वह भागीदार या निदेशक है, उस संस्था का प्रत्येक भागीदार या निदेशक कारपोरेट व्यक्ति से स्वतंत्र हो:

स्पष्टीकरण: किसी व्यक्ति को कारपोरेट व्यक्ति से स्वतंत्र माना जाएगा यदि वह -

- (क) यदि कारपोरेट व्यक्ति एक कंपनी है तो उस स्थिति में कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 149 के अधीन कारपोरेट व्यक्ति के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हो;
- (ख) कारपोरेट व्यक्ति का संबंधित पक्ष न हो; या

(ग) पिछले तीन वर्षों में किसी समय कर्मचारी या मालिक या भागीदार न रहा हो -

(i) कारपोरेट व्यक्ति के लेखापरीक्षकों या कंपनी सचिवों या लागत लेखापरीक्षकों की किसी फर्म का; या

(ii) ऐसी किसी कानूनी या परामर्शदाता फर्म का, जिसमें उस फर्म के सकल आवर्त में दस प्रतिशत या अधिक अंशदान करने वाले कारपोरेट व्यक्ति के साथ कोई संव्यवहार हो या रहा हो।

(2) कोई दिवाला व्यावसायिक परिसमापक के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा यदि उसे या उस दिवाला व्यावसायिक संस्था, जिसका वह भागीदार या निदेशक है, को इस बोर्ड द्वारा निरोधक आदेश दिया गया हो।

(3) परिसमापक संबंधित कारपोरेट व्यक्ति या उसके किसी पक्षकार के साथ कोई वित्तीय या व्यक्तिगत संबंध होने, को पता चलते ही, उसका प्रकटीकरण बोर्ड और रजिस्ट्रार को करेगा।

(4) कोई दिवाला व्यावसायिक, यदि जिस दिवाला व्यावसायिक संस्था में वह निदेशक या भागीदार है या उस दिवाला व्यावसायिक संस्था का कोई अन्य भागीदार या निदेशक उसी समापन में किसी अन्य पक्षकार का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह परिसमापक के रूप में आगे कार्य नहीं करेगा।

7. परिसमापक का पारिश्रमिक.

परिसमापक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक समापन लागत में गिना जाएगा।

अध्याय-IV

परिसमापक के अधिकार और कार्य

8. रिपोर्टिंग.

(1) परिसमापक, इन विनियमों में विहित रीति में, निम्नलिखित रिपोर्टें तैयार और प्रस्तुत करेगा-

(क) प्रारंभिक रिपोर्ट;

(ख) वार्षिक स्थिति रिपोर्ट;

(ग) पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श के कार्यवृत्त, और

(घ) अंतिम रिपोर्ट।

(2) इन विनियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन परिसमापक निम्नलिखित प्राप्त होने पर उप-विनियमन (1) में उल्लिखित रिपोर्टें और कार्यवृत्त इलेक्ट्रॉनिक या लिखित रूप में किसी पक्षकार को उपलब्ध कराएगा-

(क) लिखित में आवेदन;

(ख) ऐसी रिपोर्ट उपलब्ध कराने की लागत; और

(ग) पक्षकार से एक शपथ-पत्र कि वह उस रिपोर्ट की गोपनीयता बनाए रखेगा और उसका प्रयोग स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ या हानि पहुंचाने के लिए नहीं करेगा।

9. प्रारंभिक रिपोर्ट.

(1) परिसमापक समापन प्रारंभ तारीख से पैंतालीस दिन के अंदर कारपोरेट व्यक्ति को एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे:-

(क) कारपोरेट व्यक्ति की पूंजीगत संरचना;

(ख) समापन प्रारंभ की तारीख को कारपोरेट व्यक्ति की लेखारजिस्टर के आधार पर उसकी आस्तियों और देयताओं के आकलन:

परंतु कि यदि परिसमापक को लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से यह विश्वास हो कि कारपोरेट व्यक्ति की लेखा रजिस्टर विश्वसनीय नहीं है, तो वह उसके पास उपलब्ध विश्वसनीय रिकार्डों और आंकड़ों के आधार पर ऐसे आकलन देगा;

- (ग) क्या वह कारपोरेट व्यक्ति या उसके व्यापार के संचालन के संबद्ध, गठन या असफलता से संबंधित किसी अन्य मामले में आगे कोई जांच करना चाहता है; और
- (घ) समापन करने के लिए प्रस्तावित कार्य-योजना जिसमें यह कार्य करने की समय-सीमा और अनुमानित समापन लागत भी शामिल की जाए।

10. रजिस्टर और लेखा रजिस्टर.

(1) यदि समापन प्रारंभ की तारीख को कारपोरेट व्यक्ति की लेखा रजिस्टर पूरी नहीं है, तो परिसमापक यथासंभव शीघ्रता से उसे पूरा करने का अध्ययन करेगा।

(2) परिसमापक कारपोरेट ऋणी के समापन के संबंध में निम्नलिखित रजिस्टर और लेखा, जो भी लागू हो, रखेगा:-

- (क) नगदी रजिस्टर;
- (ख) लेखा रजिस्टर;
- (ग) बैंक रजिस्टर;
- (घ) अचल आस्तियों और सामान का रजिस्टर;
- (ङ) प्रतिभूति और निवेश रजिस्टर;
- (च) लेखा ऋणों और बकाया ऋणों का रजिस्टर;
- (छ) किराएदार रजिस्टर;
- (ज) सूट रजिस्टर;
- (झ) डिक्री रजिस्टर;
- (ञ) दावों और लाभांश का रजिस्टर;
- (ट) अंशदाताओं बही;
- (ठ) वितरण रजिस्टर;
- (ड) फीस रजिस्टर;
- (ढ) उचिन्त रजिस्टर;
- (ण) दस्तावेज रजिस्टर;
- (त) बही रजिस्टर;
- (थ) विनियमन 39 के अनुसरण में जमा किए गए परंतु दावा न किए गए लाभांशों और अवितरित संपत्तियों का रजिस्टर; और
- (द) कारपोरेट ऋणी के संबंध में उसके द्वारा किए जाने वाले संब्यवहारों के लिए आवश्यक अन्य कोई रजिस्टर या बही।

(3) उप-विनियमन (2) के अधीन रजिस्टर और खाते अनुसूची-II में निर्दिष्ट प्ररूपों में ऐसे परिवर्तनों के साथ रखे जाएंगे, जैसा कि परिसमापक समापन के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे।

(4) परिसमापक उसके द्वारा किए गए सभी भुगतान और किए गए खर्च की रसीदें रखेगा।

11. व्यावसायिक की नियुक्ति.

(1) परिसमापक अपने कर्तव्यों, दायित्वों और कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक उचित पारिश्रमिक के साथ व्यावसायिक नियुक्त कर सकता है और यह पारिश्रमिक समापन लागत का एक भाग होगा।

(2) परिसमापक उप-विनियमन (1) के अधीन किसी ऐसे व्यावसायिक को नियुक्त नहीं करेगा जो उसका संबंधी है, कारपोरेट व्यक्ति का संबंधित पक्ष है या समापन प्रारंभ होने की तारीख से पिछले पांच वर्षों में किसी भी समय पर कारपोरेट व्यक्ति का लेखापरीक्षक रहा है।

(3) उप-विनियमन (1) के अधीन नियुक्त या नियुक्ति के लिए प्रस्तावित कोई व्यावसायिक किसी पक्षकार या कारपोरेट व्यक्ति के साथ कोई आर्थिक या व्यक्तिगत संबंध होने की जानकारी मिलते ही उसका प्रकटीकरण परिसमापक को करेगा।

12. पक्षकारों के साथ परामर्श.

(1) धारा 35(2) के अधीन जिन पक्षकारों का परामर्श लिया जाए, वे कारपोरेट व्यक्ति के समापन को पूरा करने के लिए परिसमापक को सभी सहायता और सहयोग देंगे।

(2) परिसमापक इस विनियमन के अधीन पक्षकारों के साथ किए गए किसी परामर्श के विवरण रखेगा।

13. अतिशय ऋण संव्यवहार.

किसी संव्यवहार को धारा 50(2) के अधीन अतिशय ऋण संव्यवहार माना जाएगा जबकि शर्तों में-

(क) कारपोरेट व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराए गए ऋण के संबंध में अत्यधिक भुगतान करना अपेक्षित हो; या

(ख) संविदाओं से संबंधित कानून के सिद्धांतों के अधीन नितान्त अनुचित हो।

14. परिसमापक द्वारा समापन की सार्वजनिक घोषणा.

(1) परिसमापक अपनी नियुक्ति से पांच दिन के अंदर इन विनियमनों की अनुसूची-I के प्ररूप क में सार्वजनिक घोषणा करेगा।

(2) सार्वजनिक घोषणा में -

(क) पक्षकारों से समापन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करेगा; और

(ख) दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख जो कि समापन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से तीस दिन होगी।

(3) यह घोषणा प्रकाशित की जाएगी -

(क) कारपोरेट व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय, यदि हो, के क्षेत्र में तथा ऐसे किसी अन्य स्थान पर, जहां परिसमापक के विचार में कारपोरेट व्यक्ति अपना वास्तविक व्यापारिक संव्यवहार करता है, व्यापक परिचालन वाले एक अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार-पत्र में;

(ख) कारपोरेट व्यक्ति की वेबसाइट, यदि हो, तो उस पर; और

(ग) बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट वेबसाइट, यदि हो, तो उस पर।

अध्याय-V

दावे

15. दावे का साक्ष्य.

कोई व्यक्ति, जो पक्षकार होने का दावा करता है, उसे समापन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख उसको देय ऋण या देय बकाया राशि, जिसमें व्याज यदि कोई है, भी शामिल है, के दावों को प्रमाणित करेगा।

16. परिचालन लेनदारों द्वारा किए गए दावे.

- (1) श्रमिक या कर्मचारी के अलावा कारपोरेट व्यक्ति का परिचालन लेनदार होने का दावा करने वाला व्यक्ति अपना दावे का प्रमाण परिसमापक को अनुसूची-1 के प्ररूप में व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दावों का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।
- (2) इस विनियमन के अधीन किसी परिचालन लेनदार को देय ऋण के आस्ति को निम्नलिखित के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है -
- (क) इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में उपलब्ध रिकार्ड; या
- (ख) अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जो ऋण को पर्याप्त रूप से स्थापित करते हैं जिनमें निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज शामिल है -
- (i) कारपोरेट व्यक्ति को वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए संविदा जिसके समर्थन में कारपोरेट व्यक्ति को आपूर्ति की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान की मांग का बिल लगाया जाए;
- (ii) किसी न्यायालय या अधिकरण का आदेश जिसने किसी ऋण के गैर-भुगतान, यदि हो, के परिणामस्वरूप निर्णय दिया हो; और
- (iii) व्यक्ति के वित्तीय लेखे।

17. वित्तीय लेनदारों द्वारा किए गए दावे.

- (1) कोई व्यक्ति जो कारपोरेट व्यक्ति का वित्तीय लेनदार होने का दावा करता है, अपने दावे का प्रमाण अनुसूची-1 के प्ररूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से परिसमापक को प्रस्तुत करेगा।
- (2) वित्तीय लेनदार को देय ऋण के अस्तित्व को निम्नलिखित के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है -
- (क) इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में उपलब्ध रिकार्ड; या
- (ख) अन्य प्रासंगिक दस्तावेज, जो पर्याप्त रूप से ऋण सत्यापित करें जिनमें निम्नलिखित सभी या कोई एक शामिल है-
- (i) ऋण के साक्ष्य के रूप में वित्तीय संविदा जिसके समर्थन में वित्तीय विवरण लगाए जाएं;
- (ii) यह सत्यापित करने वाला रिकार्ड कि किसी सुविधा के अधीन कारपोरेट व्यक्ति को वित्तीय लेनदार द्वारा वचनबद्ध की गई राशि कारपोरेट व्यक्ति द्वारा आहरित की गई है;
- (iii) वित्तीय विवरण जिसमें दर्शाया गया हो कि ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया गया है; और
- (iv) किसी न्यायालय या अधिकरण का आदेश जिसने ऋण, यदि हो, तो उसका भुगतान न करने पर कोई निर्णय दिया हो।

18. श्रमिकों और कर्मचारियों के दावे.

- (1) कोई व्यक्ति जो कारपोरेट व्यक्ति का श्रमिक या कर्मचारी होने का दावा करता है, अनुसूची-1 के प्ररूप में दावे का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से परिसमापक को प्रस्तुत करेगा।
- (2) यदि कारपोरेट व्यक्ति द्वारा अनेक श्रमिकों या कर्मचारियों को राशि देय हो तो ऐसी सभी बकाया राशि के लिए एक प्राधिकृत प्रतिनिधि अनुसूची-1 के प्ररूप में उनकी ओर से दावे का एक प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है।
- (3) श्रमिकों और कर्मचारियों को देय राशि का प्रमाण उनके द्वारा अलग-अलग या संयुक्त रूप से निम्नलिखित के आधार पर दिया जा सकता है -
- (क) इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में उपलब्ध रिकार्ड; या
- (ख) अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जो पर्याप्त रूप से देय राशि सत्यापित करते हैं जिनमें निम्नलिखित सभी या कोई एक शामिल है-

- (i) जिस अवधि के लिए वह श्रमिक या कर्मचारी देय राशि का दावा कर रहा है उस अवधि के लिए रोजगार का प्रमाण जैसे रोजगार की संविदा;
 - (ii) अदत्त राशि के भुगतान की मांग करने वाला नोटिस और गैर-भुगतान के अन्य दस्तावेज या अन्य प्रमाण; और
 - (iii) किसी न्यायालय या अधिकरण का आदेश जिसने देय राशि के गैर-भुगतान पर निर्णय दिया हो।
- (4) यदि श्रमिक या कर्मचारी ने दावा न किया हो तो परिसमापक कारपोरेट व्यक्ति की रजिस्टर खाते के आधार पर किसी श्रमिक या कर्मचारी के दावे स्वीकार करेगा।

19. अन्य पक्षकारों के दावे.-

- (1) कोई व्यक्ति जो विनियमन 16, 17 और 18 के अधीन आने वाले पक्षकारों को छोड़कर अन्य पक्षकार होने का दावा करता है तो वह अनुसूची-1 के प्ररूप च में अपने दावे का प्रमाण परिसमापक को व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेगा।
- (2) पक्षकार के दावे को निम्नलिखित के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है –
- (क) इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में उपलब्ध रिकार्ड; या
 - (ख) अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जो पर्याप्त रूप से दावे को सत्यापित करते हैं जिनमें निम्नलिखित सभी या कोई एक शामिल है:
 - (i) अमुक्त राशि की मांग करने का पत्र (नोटिस) या दावेदार की बैंक स्टेटमेंट जिसमें ज्ञात होता हो कि दावे का भुगतान नहीं किया गया है तथा एक शपथ-पत्र कि दस्तावेजी साक्ष्य और बैंक स्टेटमेंट सही, वैध और वास्तविक हैं;
 - (ii) लेनदार की शेयरधारिता का दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य; और
 - (iii) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण का आदेश जिसने दावे के गैर-भुगतान, यदि कोई हो, पर निर्णय दिया हो।

20. प्रतिभूति हित का प्रमाण.

किसी प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रतिभूति हित का दावा निम्नलिखित के आधार पर किया जा सकता है –

- (क) इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में उपलब्ध रिकार्ड; अथवा
- (ख) कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रभार पंजीकरण का प्रमाण-पत्र;
- (ग) भारतीय प्रतिभूतिकरण आस्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित की केन्द्रीय रजिस्ट्री में प्रभार रजिस्ट्रीकरण का साक्ष्य; या
- (घ) अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जो पर्याप्त रूप से प्रतिभूति हित सत्यापित करते हों।

21. विनियम बिल और वचन-पत्र प्रस्तुत करना.

यदि कोई व्यक्ति किसी विनियमन बिल, प्रतिज्ञा-पत्र या अन्य पराक्रम्य लिखत या इसी प्रकार की किसी प्रतिभूति के संबंध में ऋण का सत्यापित करना चाहता है जिसके लिए कारपोरेट व्यक्ति उत्तरदायी है, तो विनियमन बिल, पत्र, लिखत या प्रतिभूति, जैसा भी मामला हो, को दावा की स्वीकृति से पहले परिसमापक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

23. दावों का सत्यापन.

परिसमापक किसी दावेदार से ऐसे अन्य साक्ष्य या स्पष्टीकरण मांग सकता है जो वह पूरे या आंशिक दावे को सत्यापित करने के लिए उचित समझे।

23. प्रमाण की लागत.

- (1) दावेदार अपने दावे को प्रमाणित करने की लागत वहन करेगा।
- (2) परिसमापक द्वारा किसी दावे के सत्यापन और निर्धारण के लिए खर्च की गई लागत समापन लागत का एक भाग होगी:

परंतु कि यदि कोई दावा या किसी दावे का कोई भाग मिथ्या पाया जाता है, तो परिसमापक दावे के सत्यापन और निर्धारण के लिए खर्च की गई लागत दावेदार से वसूल करने को कहेगा और दावेदार के व्यौरे बोर्ड को देगा।

24. दावे की मात्रा का निर्धारण.

यदि किसी आकस्मिक या अन्य कारण से दावेदार द्वारा दावा की गई राशि स्पष्ट नहीं है तो दावेदार तथा कारपोरेट व्यक्ति के साथ परामर्श करके तथा उपलब्ध सूचना के आधार पर परिसमापक दावे की राशि का सर्वोत्तम आकलन करेगा।

25. विदेशी मुद्रा में ऋण.

विदेशी मुद्रा में आकलित दावों को समापन प्रारंभ की तारीख को अधिकारिक विनिमय दर पर भारतीय मुद्रा में लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण: "आधिकारिक विनिमय दर" भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित संदर्भ दर या ऐसी संदर्भ दरों पर आकलित कोई दर है।

26. आवधिक भुगतान.

किराया, हित या आवधिक प्रकृति के ऐसे अन्य भुगतानों के मामले में कोई व्यक्ति समापन प्रारंभ करने की तारीख तक देय और अदत्त राशि का ही दावा प्रस्तुत कर सकता है।

27. भविष्य में संदाय योग्य ऋण.

(1) एक व्यक्ति जिसकी समापन के प्रारंभ होने की तारीख अदायगी देय नहीं है ऐसे बकाया के लिए अपना दावा साबित कर सकता है और जो उसी रीति से संवितरण का हकदार हो जैसे कोई अन्य पक्षकार।

(2) इसके विपरीत किसी संविदा के अधीन जहां एक पक्षकार ने उप-विनियमन (1) के अधीन किसी बकाए के लिए अपना दावा साबित किया है, और ऋण संवितरण से पूर्व देय नहीं हुआ है, वह निम्नलिखित सूत्र द्वारा कम किए हुए स्वीकृत दावे के संवितरण का हकदार होगा -

$$X/(1+r)^n$$

जहां-

- (क) "X" स्वीकृत दावे का मूल्य है;
- (ख) "r" भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथाप्रकाशित संवितरण की तारीख को "n" की परिपक्वता का सरकारी प्रतिभूतियों का अंतिम प्राप्त दर (%) है; और
- (ग) "n" दशमिक रूप में वर्षों और महीनों में व्यक्त अवधि है जो संवितरण की तारीख से प्रारंभ हो और अन्यथा ऋण के संदाय की देय तारीख हो।

28. पारस्परिक साख और अदायगी.

यदि कारपोरेट व्यक्ति और अन्य पत्रों के मध्य पारस्परिक संब्यवहार हो, वहां एक पक्ष की कुल देय राशियों को दूसरे पक्ष का देय राशियों पर स्थापित किया जा सकता है जिससे कारपोरेट व्यक्ति या अन्य पक्ष को देय निवल राशि का पता लगाया जा सके।

उदाहरण: X पर कारपोरेट व्यक्ति का 100 रुपए बकाया है। कारपोरेट व्यक्ति पर X का 70 रुपए बकाया है, तो X द्वारा कारपोरेट व्यक्ति को 30 रुपए का भुगतान किया जाएगा।

29. दावों का सत्यापन.

(1) परिपरिसमापक दावों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से तीस दिनों के भीतर दावों का सत्यापन करेगा और संहिता की धारा 40 के अनुसार, पूर्णतः अथवा अंशतः, जैसा भी मामला हो, दावा स्वीकार अथवा अस्वीकार करेगा।

(2) लेनदार संहिता की धारा 42 के अनुसार परिपरिसमापक के निर्णय के विरुद्ध अधिनिर्णयन प्राधिकरण को अपील कर सकेगा।

30. पक्षकारों की सूची.

(1) इन विनियमों के अधीन प्रस्तुत और स्वीकृत दावों के प्रमाण के आधार पर परिपरिसमापक पक्षकारों की एक सूची तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे -

- (क) स्वीकृत दावे की राशि, यदि लागू हो,
- (ख) ऋण या बकाए के प्रतिभूत या अप्रतिभूत होने की सीमा, यदि लागू हो,
- (ग) पक्षकारों के ब्यौरे, और
- (घ) अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत प्रमाण और पूर्णतः अस्वीकृत प्रमाण।
- (2) परिपरिसमापक दावों की प्राप्त की अंतिम तारीख से पैतालिस दिनों के भीतर पक्षकारों की सूची तैयार करेगा।
- (3) समय-समय पर यथासंशोधित पक्षकारों की सूची -
- (क) दावे का प्रमाण प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी;
- (ख) कारपोरेट व्यक्ति के सदस्यों, भागीदारों, निदेशकों और गारंटीकर्ताओं द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी;
- (ग) कारपोरेट व्यक्ति की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर प्रदर्शित की जाएगी;
- (घ) बोर्ड द्वारा इस उद्देश्य से नामित वेबसाइट, यदि कोई हो, पर प्रदर्शित की जाएगी।

अध्याय-VI

आस्तियों की प्राप्ति

31. बिक्री की रीति.

परिपरिसमापक कारपोरेट व्यक्ति की आस्तियों का मूल्यांकन और बिक्री किसी ऐसी रीति में और किसी ऐसी पद्धति द्वारा कर सकता है जो कि कारपोरेट व्यक्ति द्वारा अनुमोदित हो एवं संबंधित सभी लागू विधियों के प्रावधानों के अनुकूल हो।

स्पष्टीकरण: "आस्तियों" में आस्तियों की बिक्री के संबंध में कोई एक आस्ति, सभी आस्तियां, आस्तियों का एक सेट अथवा आस्तियों का पार्सल, जैसा भी मामला हो, शामिल है।

32. बकाया धन की वसूली.-

परिपरिसमापक पक्षकारों के मूल्यांकन के अधिकतम प्राप्ति करने हेतु एक समयबद्ध तरीके से कारपोरेट व्यक्ति की सभी आस्तियों और उसके प्रति सभी बकायों की वसूली और प्राप्ति करने का प्रयास करेगा।

33. परिपरिसमापक अप्रयुक्त पूंजी अथवा असंदत्त पूंजी अंशदान की प्राप्ति करेगा.-

- (1) परिपरिसमापक कारपोरेट व्यक्ति के किसी अंशदाता से बकाया राशि की वसूली करेगा।
- (2) कारपोरेट व्यक्ति के अनाहृत पूंजी पर किसी शुल्क अथवा ऋणभार के बावजूद भी परिपरिसमापक के पास कारपोरेट व्यक्ति के अनाहृत पूंजी को मांगने और वसूलने तथा, सभी अंशदाताओं को नोटिस प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर भुगतान करने का नोटिस देकर, समापन प्रारंभ से पहले किए गए अप्रयुक्त देय राशि के बकाए की अकत्रित करने का पात्र होगा, किंतु वह ऐसे किसी शुल्क अथवा ऋणभार के धारक के अधिकारों, यदि कोई हो, के अधीन इस प्रकार प्राप्त सभी राशियों को रखेगा।
- (3) किसी अंशदाता को तब तक कोई संवितरण नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह कारपोरेट व्यक्ति के वैधानिक दस्तावेज में यथाअपेक्षित अनाहृत प्रयुक्त अथवा असंदत्त पूंजी में उसका अंशदान नहीं करता है।

अध्याय-VII

समापन से प्राप्त और प्राप्ति का संवितरण

34. पूरा पैसा बैंक खाते में भुगतान किया जाना.

- (1) परिपरिसमापक किसी अधिसूचित बैंक में, कारपोरेट व्यक्ति को देय सभी पैसे की प्राप्ति के लिए कारपोरेट व्यक्ति के नामे एक बैंक लेखा खोलेगा जिसमें नाम के बाद स्वैच्छिक समापन में लिखा होगा।
- (2) परिपरिसमापक कारपोरेट व्यक्ति के परिपरिसमापक के रूप में उसके द्वारा प्राप्त सभी पैसा, चेक और मांग ड्राफ्ट सहित, उप-विनियमन (1) के अधीन खोले गए बैंक खाते में जमा कराएगा, और प्रत्येक दिन की प्राप्तियां बिना किसी कटौती के अगले कार्यदिवस तक बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- (3) बैंक खाते में जमा पैसे का उपयोग नहीं किया जाएगा, सिवाय उस रीति में जो धारा 53(1) में दी गई है।
- (4) परिपरिसमापक द्वारा खाते में पांच हजार रुपए से अधिक के सभी भुगतान बैंक खाते से बैंक या ऑनलाइन संव्यवहार के माध्यम से किए जाएंगे।

35. संवितरण.

- (1) परिपरिसमापक वसूलियों से प्राप्त पैसे का वितरण पक्षकारों के खाते की प्राप्ति के छः महीने के भीतर करेगा।
- (2) प्रत्येक वितरण से पहले समापन लागत की कटौती की जाएगी।
- (3) परिपरिसमापक, कारपोरेट निकाय की अनुमति से, पक्षकारों के बीच, किसी ऐसी आस्ति का वितरण कर सकता है, जिसे उसकी विशेष प्रकृति या विशेष परिस्थितियों के कारण तुरंत अथवा लाभपद रूप से नहीं बेचा जा सकता हो।

36. पैसे की वापसी.

कोई पक्षकार संवितरण के दौरान उसे प्राप्त कोई ऐसी राशि तुरंत वापस करेगा जिसका वह संवितरण के समय हकदार नहीं था या बाद में हकदार नहीं रह गया था।

37. समापन पूरा होना.

- (1) परिपरिसमापक समापन प्रारंभ होने की तारीख से बारह महीने के भीतर कारपोरेट व्यक्ति की समापन प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास करेगा।
- (2) समापन प्रक्रिया के बारह महीने से अधिक समय तक जारी रहने की स्थिति में, परिपरिसमापक-
 - (क) समापन प्रारंभ होने की तारीख से बारह महीने पूरा होने के प्रंद्रह दिनों के भीतर, और कारपोरेट व्यक्ति का विघटन पूरा होने तक प्रत्येक बारह महीने की समाप्ति पर, कारपोरेट व्यक्ति के अंशदाताओं की बैठक आयोजित करेगा; और
 - (ख) समापन में प्रगति दर्शाते हुए एक वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (रिपोर्टें) प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे-
 - (i) पक्षकारों की सूची का निर्धारण;
 - (ii) बेचे जाने अथवा वसूली की जाने वाली किसी आस्ति के व्यौरे;
 - (iii) पक्षकारों को किए गए वितरण; और
 - (iv) नहीं बेची गई आस्तियों का पक्षकारों को किया गया वितरण;
 - (v) कारपोरेट व्यक्ति द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किसी भौतिक कार्रवाई में हुई प्रगति; और
 - (vi) संहिता के भाग-2 के अध्याय-3 के अनुसार संव्यवहार से बचने के लिए आवेदनों की फाइलिंग और उसमें प्रगति।
- (3) वार्षिक स्थिति रिपोर्ट के साथ समापन प्रारंभ की तारीख से समापन से संबंधित प्राप्तियां और भुगतान दर्शाता हुआ समापन का लेखापरीक्षित लेखा संलग्न किया जाएगा।

38. अंतिम रिपोर्ट.-

- (1) समापन प्रक्रिया पूरा होने पर, परिपरिसमापक एक अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-
- (क) समापन प्रारंभ की तारीख से समापन से संबंधित प्राप्तियां और भुगतान दर्शाता हुआ समापन का लेखापरीक्षित लेखा संलग्न किया जाएगा; और
- (ख) निम्नलिखित दर्शाता हुए एक विवरण कि-
- (i) कारपोरेट व्यक्ति की आस्तियों का निपटान किया गया है;
- (ii) कारपोरेट व्यक्ति के ऋणों का भुगतान लेनदारों की संतुष्टि के अनुसार किया गया है;
- (iii) कारपोरेट व्यक्ति के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई लंबित नहीं है अथवा किसी लंबित कानूनी कार्रवाई से उत्पन्न होने वाली देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।
- (ग) सभी आस्तियों के संबंध में एक बिक्री विवरण, जिसमें शामिल होंगे-
- (i) प्राप्त मूल्य;
- (ii) प्राप्ति की लागत, यदि कोई हो;
- (iii) बिक्री की रीति और पद्धति;
- (iv) कमी के लिए स्पष्टीकरण, यदि प्राप्त मूल्य रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा धारा 59(3)(ख)(ii) अथवा विनियमन 3(2)(ख), जैसा भी मामला हो, के अनुसार तैयार आस्तियों का मूल्यांकन रिपोर्ट में दिए गए मूल्य से कम हो।
- (v) वह व्यक्ति जिसे बेचा गया है; और
- (vi) बिक्री का कोई अन्य ब्यौरा।
- (2) परिपरिसमापक तुरंत ही अंतिम रिपोर्ट रजिस्ट्रार और बोर्ड को भेजेगा।
- (3) परिपरिसमापक धारा 59(7) के अधीन अधिनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष आवेदन के साथ अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

39. समापन की अदावाकृत प्राप्तियां अथवा अवितरित आस्तियां.-

- (1) धारा 59(8) के अधीन विघटन आदेश पारित होने से पहले, परिपरिसमापक विघटन की तारीख को उसके पास बचे रह गए समापन की किसी अदावाकृत प्राप्ति अथवा असंवितरित आस्ति अथवा पक्षकारों को भुगतान कोई अन्य अधिशेष के भारत के लोक खाते के कंपनी समापन लेखा में भुगतान के लिए एक आदेश हेतु अधिनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करेगा।
- (2) कोई परिपरिसमापक जो ऐसी राशि अपने पास रखता है जिसे इस विनियमन के अधीन उसके द्वारा कंपनी समापन लेखा में जमा किया जाना चाहिए, तो वह इस प्रकार रखी गई राशि पर बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से हित का भुगतान करेगा, और बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित ऐसे जुर्माने का भी भुगतान करेगा।
- (3) परिपरिसमापक उप-विनियमन (1) में उल्लिखित कोई भुगतान करते समय, रजिस्ट्रार और बोर्ड के समक्ष एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें शामिल की गई राशि की प्रकृति, उसमें भाग लेने के हकदार पक्षकारों के नाम और अंतिम ज्ञात पते, प्रत्येक की हकदारी की राशि और उनके दावों की प्रकृति दी जाएगी।
- (4) परिपरिसमापक उप-विनियमन (2) के अधीन भुगतान की गई किसी राशि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से एक रसीद प्राप्त करने का हकदार होगा, और ऐसी रसीद उस राशि के संबंध में परिपरिसमापक द्वारा प्रभावी निर्वहन होगी।
- (5) कंपनी समापन खाते में भुगतान किए गए किसी पैसे का हकदार होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, दावा किए गए पैसे के भुगतान हेतु आदेश के लिए बोर्ड के पास आवेदन कर सकता है; जो, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा व्यक्ति पूरे पैसे अथवा उसके किसी अंश का हकदार है, तो उससे ऐसी प्रतिभूति लेने के बाद जो वह उचित समझे, उसे उसकी देय राशि के भुगतान के लिए एक आदेश कर सकता है।

(6) इस विनियमन के अनुसरण में कंपनी समापन खाते में संदत्त कोई पैसा, जो उसके बाद पंद्रह वर्ष की अवधि तक अदावाकृत रहता है, केंद्रीय सरकार के सामान्य राजस्व खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

40. कपट अथवा ऋण शोधन अक्षमता की पहचान.-

(1) जहां परिपरिसमापक का यह मत है कि समापन किसी व्यक्ति के साथ कपट करने के लिए किया जा रहा है, वहां वह समापन प्रक्रिया के निलंबन के लिए और ऐसा आदेश पारित करने के लिए जो वह उपयुक्त समझे अधिनिर्णयन प्राधिकरण के पास आवेदन कर सकता है।

(2) जहां परिपरिसमापक का यह मत है कि कारपोरेट व्यक्ति समापन में बेचे जाने वाली आस्तियों की प्राप्ति से ऋणों की पूरी अदायगी नहीं कर पाएगा, वहां वह समापन प्रक्रिया के निलंबन और ऐसा आदेश पारित करने के लिए जो वह उपयुक्त समझे अधिनिर्णयन प्राधिकरण के पास आवेदन कर सकता है।

41. रिकार्डों का संरक्षण.-

परिपरिसमापक विनियमन 8 और 10 में उल्लिखित रिपोर्टों, रजिस्ट्रों और लेखा बहियों की एक भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रति कारपोरेट व्यक्ति के विघटन के बाद कम से कम आठ वर्षों तक अपने पास अथवा किसी सूचना सुविधा निकाय के पास रखेगा।

अनुसूची-1

प्ररूप क

सार्वजनिक घोषणा

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियम 14 के अधीन)

[कारपोरेट व्यक्ति का नाम] के पक्षकारों के ध्यानार्थ

1.	कारपोरेट व्यक्ति का नाम	
2.	कारपोरेट व्यक्ति के निगमन की तारीख	
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कारपोरेट व्यक्ति निगमित/रजिस्ट्रीकृत है	
4.	कारपोरेट व्यक्ति की कारपोरेट पहचान संख्या/सीमित देयता भागीदारी संख्या	
5.	कारपोरेट व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	
6.	कारपोरेट व्यक्ति का समापन प्रारंभ होने की तारीख	
7.	परिपरिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, दूरभाष संख्या और रजिस्ट्रीकरण संख्या	
8.	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	

सूचित किया जाता है कि [कारपोरेट व्यक्ति का नाम] ने [समापन प्रारंभ होने की तारीख] को स्वैच्छिक समापन प्रारंभ किया है।

[कारपोरेट व्यक्ति का नाम] के पक्षकारों को [समापन प्रारंभ होने की तारीख से तीस दिन बाद की तारीख लिखें] को अथवा उससे पहले मद संख्या 7 में उल्लिखित पते पर परिपरिसमापक के समक्ष उनके दावों के साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदार अपने दावों के प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक तरीके में प्रस्तुत करें। अन्य सभी पक्षकार अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावों का गलत अथवा गुमराह करने वाला प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

परिपरिसमापक का नाम और हस्ताक्षर

तारीख और स्थान:

अनुसूची-1

प्ररूप ख

श्रमिकों और कर्मचारियों के सिवाय संचालन लेनदारों द्वारा दावों का प्रमाण

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियम 16 के अधीन)

[तारीख]

सेवा में,

परिसमापक

[परिसमापक का नाम]

[सार्वजनिक घोषणा में दिया गया पता]

प्रेषक

[संचालन लेनदार का नाम और पता]

विषय: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन (कारपोरेट व्यक्ति का नाम) के स्वैच्छिक समापन के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना।

महोदय/महोदया,

[संचालन लेनदार का नाम] [कारपोरेट व्यक्ति का नाम] के स्वैच्छिक समापन के संबंध में दावों का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

1.	पक्षकार का नाम (यदि कोई निगमित निकाय है तो पहचान संख्या और निगमन का प्रमाण प्रस्तुत करें, यदि कोई भागीदारी अथवा एकल व्यक्ति है तो सभी भागीदारों अथवा एकल व्यक्ति का पहचान अभिलेख* उपलब्ध कराएं)	
2.	पत्राचार हेतु संचालन लेनदारों का पता	
3.	स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को हित सहित दावे की कुल राशि और दावे की प्रकृति का ब्यौरा	
4.	किसी विवाद और किसी लंबित वाद अथवा मध्यस्थता कार्यवाही के अभिलेख के ब्यौरे	
5.	ऋणग्रस्त होने के समय और रीति का ब्यौरा	

6.	कारपोरेट व्यक्ति और संचालन लेनदार के मध्य पारस्परिक साख, पारस्परिक ऋण, अथवा अन्य पारस्परिक संब्यवहार के ब्यौरे जिसे दावे के विरुद्ध निपटाया जा सके	
7.	उन पण्यों अथवा परिसंपत्तियों जिससे ऋण संबंधित है अथवा कोई अन्य प्रतिभूति, के संबंध में कोई दावा रखने का ब्यौरा	
8.	किसी कार्य अथवा ऋण के उसके पक्ष में अंतरण का ब्यौरा	
9.	बैंक लेखा का ब्यौरा जिसमें समापन प्राप्ति में संचालन लेनदार का हिस्सा अंतरित किया जा सके।	
10.	दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची लिखें और उन्हें संलग्न करें।	

संचालन लेनदार अथवा उसकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर (यदि संचालन लेनदार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है तो प्राधिकार संलग्न करें)	
नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
लेनदार के रूप में अथवा उनके संबंध में स्थिति	
हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम	

*पैन, पासपोर्ट, आधार कार्ड अथवा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र

शपथ-पत्र

मैं [अभिसाक्षी का नाम], वर्तमान निवास पता [अभिसाक्षी का पता] सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ और निम्नलिखित कहता हूँ:

1. उपर उल्लिखित कारपोरेट व्यक्ति, समापन प्रारंभ होने की तारीख को, अर्थात् _____ दिन _____ 20__ और अभी भी उचित और सत्य रूप से मेरे [अथवा मेरे और (सहभागीदारों के नाम लिखें), मेरे व्यापार के सह भागीदारों, अथवा, जैसा भी मामला हो] के प्रति [कृपया क्षतिपूर्ति का उल्लेख करें] के लिए _____ रुपए की राशि हेतु ऋणी है।
2. उपर्युक्त राशि अथवा उसके किसी भाग के मेरे दावे के संबंध में मेरा दावा नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेजों पर आधारित है।
[ऋण के साक्ष्य के रूप में दावों की सूची तैयार करें]
3. उक्त दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य, वैध और वास्तविक हैं।

4. उपर्युक्त राशि अथवा उसके किसी भाग के संबंध में न ही मैंने, न ही मेरे भागीदारों अथवा उनमें से किसी ने, न ही मेरे/हमारे आदेश से किसी अन्य व्यक्ति ने, मेरी अथवा हमारी जानकारी अथवा विश्वास के अनुसार, मेरे अथवा हमारे प्रयोग के लिए, निम्नलिखित को छोड़कर और उसके सिवाय, किसी भी रीति में कोई हर्जाना अथवा किसी प्रकार की प्रतिभूति प्राप्त की है:

[कारपोरेट व्यक्ति और संचालन लेनदार के मध्य पारस्परिक साख, पारस्परिक ऋण, अथवा अन्य पारस्परिक संव्यवहार के व्यौरे का उल्लेख करें जिसे दावे के विरुद्ध निपटाया जा सके]

मेरे सामने दिनांक _____ को सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता है।

नोटरी/शपथ आयुक्त

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, उपर्युक्त में अभिसाक्षी, यह सत्यापित और पुष्टि करता हूँ कि इस शपथ-पत्र के पैरा _____ में कही गई बातें मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। इसमें कुछ भी झूठा नहीं है और कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई नहीं गई है।

दिनांक _____ को सत्यापित

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

अनुसूची-1

प्ररूप ग

वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों का प्रमाण

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियम 17 के अधीन)

[तारीख]

सेवा में,

परिसमापक

[परिसमापक का नाम]

[सार्वजनिक घोषणा में दिया गया पता]

प्रेषक

[वित्तीय लेनदार का पंजीकृत कार्यालय और प्रमुख कार्यालय का नाम और पता]

विषय: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन (कारपोरेट व्यक्ति का नाम) के स्वैच्छिक समापन के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना।

महोदय/महोदया,

[वित्तीय लेनदार का नाम] [कारपोरेट व्यक्ति का नाम] के स्वैच्छिक समापन के संबंध में दावों का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसे ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

1.	वित्तीय लेनदार का नाम (यदि कोई निगमित निकाय पहचान संख्या और निगमन का प्रमाण प्रस्तुत करे, यदि कोई भागीदारी अथवा एकल व्यक्ति सभी भागीदारों अथवा एकल व्यक्ति का पहचान अभिलेख* उपलब्ध कराएं)	
2.	पत्राचार के लिए वित्तीय लेनदार का पता और ई-मेल	
3.	स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को हित सहित दावे की कुल राशि और दावे की प्रकृति का ब्यौरा (आवधिक ऋण, प्रतिभूत है अथवा अप्रतिभूत)	
4.	ऋण के गैर-भुगतान पर अधिनिर्णय करने वाले अधिकरण के न्यायालय के किसी आदेश के ब्यौरे	
5.	ऋणग्रस्त होने के समय और रीति का ब्यौरा	
6.	कारपोरेट व्यक्ति और वित्तीय लेनदार के मध्य पारस्परिक साख, पारस्परिक ऋण, अथवा अन्य पारस्परिक संव्यवहार के ब्यौरे जिसे दावे के विरुद्ध निपटाया जा सके	
7.	किसी धारित प्रतिभूति के ब्यौरे, प्रतिभूति का मूल्य और इसे दिए जाने की तारीख	
8.	किसी कार्य अथवा ऋण के उसके पक्ष में अंतरण का ब्यौरा	
9.	बैंक लेखा का ब्यौरा जिसमें समापन प्राप्ति में संचालन लेनदार का हिस्सा अंतरित किया जा सके।	
10.	उन दस्तावेजों की सूची तैयार और संलग्न करें जिसके संदर्भ में ऋण सत्यापित हो और दावे का समर्थन हो	

वित्तीय लेनदार अथवा उसकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर (यदि किसी वित्तीय लेनदार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है तो प्राधिकार संलग्न करें)	
नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
लेनदार के रूप में अथवा उनके संबंध में स्थिति	
हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता	

*पैन, पासपोर्ट, आधार कार्ड अथवा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र

शपथ-पत्र

में [अभिसाक्षी का नाम], वर्तमान निवास पता [अभिसाक्षी का पता] सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ और निम्नलिखित कहता हूँ:

1. उपर उल्लिखित कारपोरेट व्यक्ति, समापन प्रारंभ होने की तारीख को, अर्थात् _____ दिन _____ 20____ और अभी भी उचित और सत्य रूप से मेरे [अथवा मेरे और (सहभागीदारों के नाम लिखें), मेरे व्यापार के सह भागीदारों, अथवा, जैसा भी मामला हो] के प्रति [कृपया क्षतिपूर्ति का उल्लेख करें] के लिए _____ रुपए की राशि हेतु ऋणी है।
2. उपर्युक्त राशि अथवा उसके किसी भाग के मेरे दावे के संबंध में मेरा दावा नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेजों पर आधारित है।
[ऋण के साक्ष्य के रूप में दावों की सूची तैयार करें]
3. उक्त दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य, वैध और वास्तविक हैं।
4. उपर्युक्त राशि अथवा उसके किसी भाग के संबंध में न ही मैंने, न ही मेरे भागीदारों अथवा उनमें से किसी ने, न ही मेरे/हमारे आदेश से किसी अन्य व्यक्ति ने, मेरी अथवा हमारी जानकारी अथवा विश्वास के अनुसार, मेरे अथवा हमारे प्रयोग के लिए, निम्नलिखित को छोड़कर और उसके सिवाय, किसी भी रीति में कोई हर्जाना अथवा किसी प्रकार की प्रतिभूति प्राप्त की है:

[कारपोरेट व्यक्ति और वित्तीय लेनदार के मध्य पारस्परिक साख, पारस्परिक ऋण, अथवा अन्य पारस्परिक संबन्धों के व्यौरे का उल्लेख करें जिसे दावे के विरुद्ध निपटाया जा सके]

मेरे सामने दिनांक _____ को सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता है।

नोटरी/शपथ आयुक्त

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, उपर्युक्त में अभिसाक्षी, यह सत्यापित और पुष्टि करता हूँ कि इस शपथ-पत्र के पैरा _____ में कही गई बातें मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। इसमें कुछ भी झूठा नहीं है और कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई नहीं गई है।

दिनांक _____ को सत्यापित

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

अनुसूची-1**प्ररूप घ****श्रमिक अथवा कर्मचारी द्वारा दावों का प्रमाण**

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियम 18(1) के अधीन)

[तारीख]

सेवा में,

परिसमापक

[परिसमापक का नाम]

[सार्वजनिक घोषणा में दिया गया पता]

प्रेषक

[श्रमिक अथवा कर्मचारी का नाम और पता]

विषय: दिवाला और शोधन अधमता संहिता, 2016 के अधीन (कारपोरेट व्यक्ति का नाम) के स्वैच्छिक समापन के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना।

महोदय/महोदया,

[श्रमिक/कर्मचारी का नाम] [कारपोरेट व्यक्ति का नाम] के स्वैच्छिक समापन के संबंध में दावों का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसे ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

1.	श्रमिक/कर्मचारी का नाम	
2.	श्रमिक/कर्मचारी का पैन, पासपोर्ट अथवा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान-पत्र	
3.	पत्राचार के लिए श्रमिक/कर्मचारी का पता और ई-मेल	
4.	दावा की कुल राशि (स्वैच्छिक समापन प्रारंभ होने की तारीख को हित सहित)	
5.	किसी विवाद के साथ-साथ लंबित मामलों का अभिलेख अथवा वाद का आदेश अथवा मध्यस्थता कार्यवाही के ब्यौरे	
6.	कब और कैसे दावा करना उसके ब्यौरे	
7.	कारपोरेट व्यक्ति और श्रमिक/कर्मचारी के मध्य पारस्परिक साख, पारस्परिक ऋण, अथवा अन्य पारस्परिक संबन्धकार के ब्यौरे जिसे दावे के विरुद्ध निपटाया जा सके	
8.	बैंक लेखा का ब्यौरा जिसमें समापन प्राप्ति में श्रमिक/कर्मचारी का हिस्सा अंतरित किया जा सके	
9.	उन दस्तावेजों की सूची तैयार और संलग्न करें जिसके संदर्भ में ऋण सत्यापित हो और दावे का समर्थन हो	

श्रमिक/कर्मचारी अथवा उसकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

[यदि किसी संचालन लेनदार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है तो प्राधिकार संलग्न करें]

नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

लेनदार के रूप में अथवा उनके संबंध में स्थिति

हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता

शपथ-पत्र

मैं [अभिसाक्षी का नाम], वर्तमान निवास पता [अभिसाक्षी का पता] सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ और निम्नलिखित कहता हूँ:

1. उपर उल्लिखित कारपोरेट व्यक्ति, समापन प्रारंभ होने की तारीख को, अर्थात् _____ दिन _____ 20____ और अभी भी उचित और सत्य रूप से मेरे [अथवा मेरे और (सहभागीदारों के नाम लिखें), मेरे व्यापार के सह भागीदारों, अथवा, जैसा भी मामला हो] के प्रति [कृपया क्षतिपूर्ति का उल्लेख करें] के लिए _____ रुपए की राशि हेतु ऋणी है।

2. उपर्युक्त राशि अथवा उसके किसी भाग के मेरे दावे के संबंध में मेरा दावा नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेजों पर आधारित है।
[ऋण के साक्ष्य के रूप में दावों की सूची तैयार करें]

उक्त दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य, वैध और वास्तविक है।

4. उपर्युक्त राशि अथवा उसके किसी भाग के संबंध में न ही मैंने, न ही मेरे भागीदारों अथवा उनमें से किसी ने, न ही मेरे/हमारे आदेश से किसी अन्य व्यक्ति ने, मेरी अथवा हमारी जानकारी अथवा विश्वास के अनुसार, मेरे अथवा हमारे प्रयोग के लिए, निम्नलिखित को छोड़कर और उसके सिवाय, किसी भी रीति में कोई हर्जाना अथवा किसी प्रकार की प्रतिभूति प्राप्त की है:

[कारपोरेट व्यक्ति और श्रमिक/कर्मचारी के मध्य पारस्परिक साख, पारस्परिक ऋण, अथवा अन्य पारस्परिक संव्यवहार के व्यौरे का उल्लेख करें जिसे दावे के विरुद्ध निपटाया जा सके]

मेरे सामने दिनांक _____ को सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता है।

नोटरी/शपथ आयुक्त

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, उपर्युक्त में अभिसाक्षी, यह सत्यापित और पुष्टि करता हूँ कि इस शपथ-पत्र के पैरा _____ में कही गई बातें मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। इसमें कुछ भी झूठा नहीं है और कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई नहीं गई है।

दिनांक _____ को सत्यापित

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

अनुसूची-1

प्ररूप ड.

श्रमिकों और कर्मचारियों के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दावे का प्रमाण

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियम 18(2) के अधीन)

[तारीख]

सेवा में,

परिसमापक

[परिसमापक का नाम]

[पता जैसा कि सार्वजनिक घोषणा में उल्लेख है]

प्रेषक

[श्रमिकों/कर्मचारियों के प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम और पता]

विषय: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन (कारपोरेट व्यक्ति का नाम) के स्वैच्छिक समापन के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना।

महोदय/महोदया,

मैं, [श्रमिकों/कर्मचारियों के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम] वर्तमान निवासी [श्रमिकों/कर्मचारियों के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम], उक्त नामित कारपोरेट व्यक्ति द्वारा नियुक्त श्रमिकों और कर्मचारियों की ओर से दृढतापूर्वक कहता हूँ:

1. कि उपर्युक्त नामित कारपोरेट व्यक्ति स्वैच्छिक समापन प्रारंभ होने की तारीख अर्थात् 20___ के _____ के _____ दिन से अब तक कुछ व्यक्तियों, जिनके नाम, पते और विवरण नीचे अनुलग्नक में दिए गए हैं, द्वारा कारपोरेट व्यक्ति के रोजगार में श्रमिक या/और कर्मचारी के रूप में उक्त अवधि के दौरान कारपोरेट व्यक्ति को उनके द्वारा गई सेवाओं के संबंध में क्रमशः मजदूरी, पारिश्रमिक और अन्य बकाया राशि, जिसका उक्त अनुलग्नक में उनके नामों के आगे उल्लेख है, का न्यायोजित वास्तविक ऋणी है।
2. कि जिसके लिए उक्त राशि या उसके किसी भाग का उन्होंने या उनमें से किसी एक ने निम्नलिखित को छोड़कर किसी प्रकार का भुगतान या प्रतिभूति प्राप्त नहीं की थी या नहीं की है:

[कृपया परस्पर लेनदारी, परस्पर ऋण या कारपोरेट व्यक्ति और श्रमिकों/कर्मचारियों के मध्य किसी अन्य परस्पर संबन्ध का उल्लेख करें जिसे दावे के प्रति बट्टे खाते डाला जा सकता है।]

हस्ताक्षर:

अनुलग्नक

1. विवरण कि कारपोरेट व्यक्ति द्वारा राशि बकाया कैसे हुई जिसमें किसी विवाद और मुकदमा या मध्यस्थता कार्रवाई लंबित रहने का रिकार्ड शामिल है।
 2. किसी परस्पर लेनदारी, परस्पर ऋण या कारपोरेट व्यक्ति और श्रमिकों/कर्मचारियों के मध्य कोई अन्य परस्पर संबन्ध जिसे दावे के प्रति बट्टे खाते डाला जा सकता है।
 3. दावे को सत्यापित करने के लिए दस्तावेजों की सूची बनाएं और संलग्न करें।
1. कर्मचारियों/श्रमिकों के विवरण

क्र.सं.	कर्मचारी/श्रमिक का नाम	पहचान संख्या (पैन/पासपोर्ट संख्या/आधार संख्या/निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र और कर्मचारी संख्या, यदि हो)	कुल देय राशि और दावे की प्रकृति के विवरण	अवधि जिसके लिए राशि बकाया है	रोजगार संविदाओं तथा अन्य प्रमाणों सहित ऋण के साक्ष्य के विवरण
1.					
2.					
3.					

शपथ-पत्र

मैं, [प्रतिवादी का पूरा नाम, पता और व्यवसाय लिखें] दृढ़ निश्चय के साथ कहता हूँ कि:

1. उपर्युक्त नामित कारपोरेट व्यक्ति समापन प्रारंभ की तारीख अर्थात् 20____ के _____ के _____ दिन और वर्तमान में श्रमिकों और कर्मचारियों का _____ [रोजगार की प्रकृति और अवधि लिखें] के लिए _____ रुपए की राशि का उचित और सही रूप में ऋणी है।

2. उक्त राशि या इसके किसी भाग के मेरे दावे निम्नलिखित निर्दिष्ट दस्तावेजों पर आधारित हैं:-

[कृपया प्रमाण पत्र के साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों की सूची लगाएं]

3. उक्त दस्तावेज मेरी जानकारी, सूचना और विश्वास में सही, मान्य और वास्तविक है।

4. उक्त राशि या उसके किसी भाग के संबंध में, किसी श्रमिक/कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति ने मेरे आदेश से/मेरी जानकारी या विश्वास में, मेरे प्रयोग के लिए, निम्नलिखित को छोड़कर किसी प्रकार का भुगतान या प्रतिभूति प्राप्त नहीं की थी और न की है:

[कारपोरेट व्यक्ति और श्रमिकों/कर्मचारियों के मध्य किसी परस्पर लेनदारी, परस्पर ऋणों या परस्पर संब्यवहार के विवरण बताएं जिन्हें दावे के प्रति बट्टे खाते डाला जा सकता हो।]

20____ के _____ मास के _____ दिन विधिवत् से पुष्टि की जाती है।

मेरे समक्ष

नोटरी/शपथ आयुक्त

प्रतिवादी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, उपरोक्त प्रतिवादी एतद्वारा सत्यापन और पुष्टि करता हूँ कि इस शपथ-पत्र के पैरा _____ से _____ की विषयवस्तु मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। कोई भी बात मिथ्या नहीं है और न ही कोई बात छुपाई गई है।

20____ के मास _____ के _____ को सत्यापित

प्रतिवादी के हस्ताक्षर

अनुसूची-1

प्ररूप च

किसी अन्य पक्षकार द्वारा दावे का प्रमाण

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियम 19 के अधीन)

[तारीख]

सेवा में,

परिसमापक

[परिसमापक का नाम]

[सार्वजनिक घोषणा के अनुसार पता]

प्रेषक

[अन्य पक्षकार का नाम और पता]

विषय: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन (कारपोरेट व्यक्ति का नाम) के स्वैच्छिक समापन के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना।

महोदय/महोदया,

[पक्षकार का नाम] [कारपोरेट व्यक्ति का नाम] के मामले में समापन के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत करता है। इस दावे के विवरण नीचे दिए गए हैं:

1.	पक्षकार का नाम (यदि कोई निगमित निकाय पहचान संख्या और निगमन का प्रमाण देता है। यदि कोई भागीदारी या व्यक्ति सभी भागीदारों या व्यक्ति का पहचान रिकार्ड* देता है)	
2.	पत्र व्यवहार के लिए पक्षकार का पता और ई-मेल	
3.	समापन प्रारंभ की तारीख को हित सहित दावे की कुल राशि तथा दावे का प्रकार	
4.	विवरण कि यह दावा कैसे और कब बना	
5.	कारपोरेट व्यक्ति और अन्य पक्षकार के मध्य परस्पर लेनदारी, परस्पर ऋण या परस्पर संव्यवहार के ब्यौरे जिन्हें इस दावे के प्रति बट्टे खाते डाला जा सकता है।	
6.	जिन वस्तुओं या संपत्तियों के संबंध में दावा किया गया है, उन पर कोई अधिकार जारी रहने के विवरण	
7.	उसके पक्ष में कोई दान पत्र या ऋण अंतरण के विवरण	
8.	बैंक खाते का विवरण जिसमें अन्य पक्षकार का समापन की आय से मिलने वाला हिस्सा अंतरित किया जा सकता है	
9.	उन दस्तावेजों की सूची दें और संलग्न करें जिनके आधार पर दावा सत्यापित किया जा सकता है या दावे के समर्थन में जिन पर विश्वास किया जा सकता है	

पक्षकार या उसकी ओर से इस कार्य के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (यदि अन्य पक्षकार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है तो कृपया प्राधिकार संलग्न करें)	
नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
लेनदार के साथ स्थिति या संबंध	
हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता	

*पैन, पासपोर्ट, आधार कार्ड अथवा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र

शपथ-पत्र

मैं [अभिसाक्षी का नाम], वर्तमान निवास पता [अभिसाक्षी का पता] सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ और निम्नलिखित कहता हूँ:

1. उपर उल्लिखित कारपोरेट व्यक्ति, समापन प्रारंभ होने की तारीख को, अर्थात् _____ दिन _____ 20__ और अभी भी उचित और सत्य रूप से मेरे [अथवा मेरे और (सहभागीदारों के नाम लिखें), मेरे व्यापार के सह भागीदारों, अथवा, जैसा भी मामला हो] के प्रति [कृपया क्षतिपूर्ति का उल्लेख करें] के लिए _____ रुपए की राशि हेतु ऋणी है।

2. उपर्युक्त राशि अथवा उसके किसी भाग के मेरे दावे के संबंध में मेरा दावा नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेजों पर आधारित है।
[ऋण के साक्ष्य के रूप में दावों की सूची तैयार करें]

3. उक्त दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य, वैध और वास्तविक है।

4. उपर्युक्त राशि अथवा उसके किसी भाग के संबंध में न ही मैंने, न ही मेरे भागीदारों अथवा उनमें से किसी ने, न ही मेरे/हमारे आदेश से किसी अन्य व्यक्ति ने, मेरी अथवा हमारी जानकारी अथवा विश्वास के अनुसार, मेरे अथवा हमारे प्रयोग के लिए, निम्नलिखित को छोड़कर और उसके सिवाय, किसी भी रीति में कोई हर्जाना अथवा किसी प्रकार की प्रतिभूति नहीं प्राप्त की है:

[कारपोरेट व्यक्ति और वित्तीय लेनदार के मध्य पारस्परिक साख, पारस्परिक ऋण, अथवा अन्य पारस्परिक संव्यवहार के ब्यौरे जिसे दावे के विरुद्ध निपटाया जा सके]

मेरे सामने दिनांक _____ को सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ।

नोटरी/शपथ आयुक्त

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, उपर्युक्त में अभिसाक्षी, यह सत्यापित और पुष्टि करता हूँ कि इस शपथ-पत्र के पैरा _____ में कही गई बातें मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। इसमें कुछ भी झूठा नहीं है और कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई नहीं गई है।

दिनांक _____ को सत्यापित

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

अनुसूची II

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियम 10 के अधीन)

इस अनुसूची में निहित प्ररूप उदाहरणात्मक प्रकृति के हैं और परिसमापक, समापन के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जैसा उचित समझे संशोधन कर सकता है।

नकदी रजिस्टर

कारपोरेट व्यक्ति का नाम _____ (समापनाधीन)

तारीख	विवरण	लेखा रजिस्टर संख्या	प्राप्तियां				भुगतान				बकाया		
			वाउचर संख्या	नकद	बैंक	कुल	वाउचर संख्या	नकद	बैंक	कुल	नकद	बैंक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14

कॉलम 'विवरण' के अधीन लेखा शीर्ष लिखें जिससे प्रविष्टि संबंधित है ताकि प्रविष्टि साधारण खाते में उचित शीर्ष के अधीन की जा सके।

साधारण लेखा रजिस्टर

कारपोरेट व्यक्ति का नाम _____ (समापनाधीन) _____ (लेखा शीर्ष)

तारीख	विवरण	नामे (रुपए)	जमा (रुपए)	बकाया (रुपए)
1	2	3	4	5
1				
2				

निर्देश:

1. साधारण लेखा रजिस्टर में ऐसे लेखा शीर्ष रखे जाएंगे जैसा कि परिसमापक आवश्यक और उपयुक्त समझे। निम्नलिखित लेखा शीर्ष उपयुक्त समझे जा सकते हैं:

- (1) आस्ति लेखा
- (2) निवेश लेखा
- (3) नकद ऋण और बकाया लेखा
- (4) मांगें

निर्देश:

1. परिसमापक का प्रतिभूतियों में निवेश और प्राप्त की जाने वाली बकाया राशि को छोड़कर कारपोरेट व्यक्ति की सभी आस्तियों की प्रविष्टि इस रजिस्टर में की जाएगी।

प्रतिभूति एवं निवेश रजिस्टर

क्र.सं.	याचिका संख्या और कारपोरेट व्यक्ति का नाम	निवेश की तारीख	प्रतिभूति का प्रकार और विवरण जिसमें निवेश किया जा रहा है	निवेश की गई राशि (रुपए)	प्राप्त लाभांश या हित और तारीख (रुपए)	निपटान की तारीख	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							

लेखा ऋण और बकाया राशि का रजिस्टर

क्र.सं.	ऋणी का नाम और पता	ऋण का विवरण	देय राशि (रुपए)	प्रतिबंध द्वारा रोकने की तारीख (रुपए)	प्राप्त राशि (रुपए)	की गई कार्रवाई	प्राप्ति की तारीख	सूट रजिस्टर में संदर्भ	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									

निर्देश:

1. समापन से पहले की गई की देय बकाया राशि सहित कारपोरेट व्यक्ति के सभी ऋण, प्रतिभूत और अप्रतिभूत दोनों की प्रविष्टि इस रजिस्टर में की जाएगी।

निर्देश:

- केवल पूर्णतया या आंशिक रूप से स्वीकृत दावों की प्रविष्टि इस रजिस्टर में की जाएगी।
- पृष्ठ की बायीं ओर दावों के लिए और पृष्ठ की दायीं ओर वितरित राशि के लिए आरक्षित रखी जाएगी।

अंशदाता लेखा रजिस्टर

क्र.सं.	अंशदाता का नाम और पता	धारित शेयरों की हित की संख्या या हित की मात्रा और उसके लिए भुगतान की जाने वाली राशि	कॉल			टिप्पणियां	शेयरपूंजी लौटाना			टिप्पणियां
			प्रथम कॉल		द्वितीय कॉल/ तृतीय कॉल		वापसी की तारीख	भुगतान की तारीख	भुगतान की गई राशि (रुपए)	
			कॉल की तारीख और मांगी गई राशि	प्रथम कॉल की तरह कॉलम दोहराए जाएं	(भुगतान की राशि और तारीख)					
1	2	3	4	5	6से 9	10	11	12	13	14
1.										
2.										

निर्देश: सूची में से केवल निपटान किए गए अंशदाताओं की प्रविष्टियां इस रजिस्टर में की जाएंगी और इन्हें सूची में दिए गए क्रम में लिखा जाएगा।

वितरित राशि का रजिस्टर

वितरण करने की तारीख:

वितरण के इस दौर में देय कुल राशि

तारीख	पक्षकारों की सूची में संख्या	विवरण	प्राप्तियां	भुगतान
1	2	3	4	5
1.				
2.				

निर्देश:

1. अधिमान और साधारण वितरण के लिए अलग-अलग पृष्ठ रखे जाएंगे।
2. जैसे ही भुगतान किया जाए, उसकी प्रविष्टि की जाएगी। कोई राशि जो अप्रदत्त लौटायी जाती है, कि 'प्राप्तियां' के अधीन इस लेखा में पुनः प्रविष्टि की जाएगी।
3. कॉलम 2 में संख्या पक्षकारों की सूची में अंतिम रूप से निपटान की गई पक्षकारों की संख्या के अनुरूप होनी चाहिए।
4. भारत के सार्वजनिक खाते में देय अदावाकृत वितरण की कुल राशि और बैंक में भुगतान की गई राशि को भुगतान की तारीख के साथ इस खाते के अंत में दर्शाया जाएगा।

फीस रजिस्टर

प्राप्त राशि जिस पर फीस देय है	वितरित राशि जिस पर फीस देय है	पूर्ववर्ती दो कॉलम में दी गई राशि जिस पर फीस देय है	कुल देय फीस	भुगतान की तारीख
1	2	3	4	5
1				
2				

निर्देश:

1. प्रत्येक वर्ष नया रजिस्टर खोला जाएगा।
2. परिसमापक को देय फीस की प्रविष्टि इस रजिस्टर में एक-तिमाही के लेखों की लेखापरीक्षा पूरी होने के तुरंत बाद की जाएगी।

उचित रजिस्टर

तारीख	विवरण	नामे (रुपए)	जमा (रुपए)	बकाया (रुपए)
1	2	3	4	5
1				
2				

निर्देश:

1. परिसमापक द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई अग्रिम राशि की प्रविष्टि इस रजिस्टर में की जाएगी।
2. प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग रजिस्टर खोला जाएगा।

दस्तावेज रजिस्टर

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण	प्राप्ति की तारीख	किससे प्राप्त हुआ	सेल्फ की संदर्भ संख्या जहां दस्तावेज रखा गया है	कैसे निपटान किया गया	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

निर्देश: स्वामित्व विलेख, शेयर, वचन-पत्र आदि जैसे सभी स्वामित्व दस्तावेजों की प्रविष्टि इस रजिस्टर में की जाएगी।

लेखा रजिस्टर

तारीख	किससे प्राप्त हुआ	क्रम संख्या	फाइलों सहित खातों का विवरण	सेल्फ संख्या	कैसे निपटान किया गया	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

निर्देश: कारपोरेट व्यक्ति के सभी खाते और फाइलें जो परिसमापक के हाथ में होंगे, की प्रविष्टि इस रजिस्टर में की जाएगी।

अदावाकृत लाभांश और जमा की गई अवितरित आस्तियों का रजिस्टर

क्र.सं.	लाभांश या लाभ प्राप्त करने के अधिकारी व्यक्ति का नाम	लेनदार है या अंशदाता	पक्षकारों की सूची में संख्या	लाभांश या लाभ की घोषणा करने की तारीख	लाभांश या लाभ की दर	कुल देय राशि (रुपए)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./453/16]

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2017

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (VOLUNTARY LIQUIDATION PROCESS) REGULATIONS, 2017

IBBI/2016-17/GN/REG010. - In exercise of the powers conferred by sections 59, 196 and 208 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Board hereby makes the following Regulations, namely:-

CHAPTER I**PRELIMINARY****1. Short title and commencement.**

- (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017.
- (2) These Regulations shall come into force on 1st April, 2017.
- (3) These Regulations shall apply to the voluntary liquidation of corporate persons under Chapter V of Part II of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

2. Definitions.

- (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires-
 - (a) “Code” means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016;
 - (b) “contributory” means a member of a company, partner of a limited liability partnership, and any other person liable to contribute towards the assets of the corporate person in the event of its liquidation;
 - (c) “liquidation commencement date” means the date on which the proceedings for voluntary liquidation commence as per section 59(5) and Regulation 3(4);
 - (d) “Registrar” shall have the same meaning assigned to it under section 2(75) of the Companies Act, 2013 or section 2(1)(s) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 or the authority administering the Act under which the corporate person is incorporated, as applicable;
 - (e) “section” means a section of the Code; and
 - (f) “stakeholders” mean the stakeholders entitled to proceeds from the sale of liquidation assets under section 53.
- (2) The term liquidation in these Regulations refers to voluntary liquidation.
- (3) Unless the context otherwise requires, words and expressions used and not defined in these Regulations, but defined in the Code, shall have the meanings assigned to them in the Code.

CHAPTER II**COMMENCEMENT OF LIQUIDATION****3. Initiation of Liquidation**

- (1) Without prejudice to section 59(2), liquidation proceedings of a corporate person shall meet the following conditions, namely: —
 - (a) a declaration from majority of
 - (i) the designated partners, if a corporate person is a limited liability partnership,
 - (ii) individuals constituting the governing body in case of other corporate persons,
 as the case may be, verified by an affidavit stating that-
 - (i) they have made a full inquiry into the affairs of the corporate person and they have formed an opinion that either the corporate person has no debt or that it will be able to pay its debts in full from the proceeds of assets to be sold in the liquidation; and
 - (ii) the corporate person is not being liquidated to defraud any person;
 - (b) the declaration under sub-clause (a) shall be accompanied with the following documents, namely: —
 - (i) audited financial statements and record of business operations of the corporate person for the previous two years or for the period since its incorporation, whichever is later;

- (ii) a report of the valuation of the assets of the corporate person, if any prepared by a registered valuer;
- (c) within four weeks of a declaration under sub-clause (a), there shall be-
 - (i) a resolution passed by a special majority of the partners or contributories, as the case may be, of the corporate person requiring the corporate person to be liquidated and appointing an insolvency professional to act as the liquidator; or
 - (ii) a resolution of the partners or contributories, as the case may be, requiring the corporate person to be liquidated as a result of expiry of the period of its duration, if any, fixed by its constitutional documents or on the occurrence of any event in respect of which the constitutional documents provide that the corporate person shall be dissolved, as the case may be, and appointing an insolvency professional to act as the liquidator:

Provided that the corporate person owes any debt to any person, creditors representing two-thirds in value of the debt of the corporate person shall approve the resolution passed under sub-clause (c) within seven days of such resolution.

- (2) The corporate person shall notify the Registrar and the Board about the resolution under sub-regulation (1) to liquidate the corporate person within seven days of such resolution or the subsequent approval by the creditors, as the case may be.
- (3) Subject to approval of the creditors under sub-regulation (1), the liquidation proceedings in respect of a corporate person shall be deemed to have commenced from the date of passing of the resolution under sub-clause (c) of sub-regulation (1):

Explanation: For the purposes of sub-regulations (1) to (3), corporate person means a corporate person other than a company.

- (4) The declaration under sub-regulation (1)(a) or under section 59(3)(a) shall list each debt of the corporate person as on that date and state that the corporate person will be able to pay all its debts in full from the proceeds of assets to be sold in the liquidation .

4. Effect of liquidation.

- (1) The corporate person shall from the liquidation commencement date cease to carry on its business except as far as required for the beneficial winding up of its business.
- (2) Notwithstanding the provisions of sub-section (1), the corporate person shall continue to exist until it is dissolved under section 59(8).

CHAPTER III

APPOINTMENT AND REMUNERATION OF LIQUIDATOR

5. Appointment of Liquidator.

- (1) An insolvency professional shall not be appointed by a corporate person if he is not eligible under Regulation 6.
- (2) The resolution passed under regulation 3(2)(c) or under section 59(3)(c), as the case may be, shall contain the terms and conditions of the appointment of the liquidator, including the remuneration payable to him.

6. Eligibility for appointment as liquidator.

- (1) An insolvency professional shall be eligible to be appointed as a liquidator if he, and every partner or director of the insolvency professional entity of which he is a partner or director is independent of the corporate person:

Explanation: A person shall be considered independent of the corporate person, if he-

- (a) is eligible to be appointed as an independent director on the board of the corporate person under section 149 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), where the corporate person is a company;
- (b) is not a related party of the corporate person; or
- (c) has not been an employee or proprietor or a partner-
 - (i) of a firm of auditors or company secretaries or cost auditors of the corporate person; or
 - (ii) of a legal or a consulting firm, that has or had any transaction with the corporate person contributing ten per cent or more of the gross turnover of such firm, at any time in the last three years.

- (2) An insolvency professional shall not be eligible to be appointed as a liquidator if he, or the insolvency professional entity of which he is a partner or director is under a restraint order of the Board.
- (3) A liquidator shall disclose the existence of any pecuniary or personal relationship with the concerned corporate person or any of its stakeholders as soon as he becomes aware of it, to the Board and the Registrar.
- (4) An insolvency professional shall not continue as a liquidator if the insolvency professional entity of which he is a director or partner, or any other partner or director of such insolvency professional entity represents any other stakeholder in the same liquidation.

7. Liquidator's remuneration.

The remuneration payable to the liquidator shall form part of the liquidation cost.

CHAPTER IV

POWERS AND FUNCTIONS OF THE LIQUIDATOR

8. Reporting.

(1) The liquidator shall prepare and submit-

- (a) Preliminary Report;
- (b) Annual Status Report;
- (c) Minutes of consultations with stakeholders; and
- (d) Final Report

in the manner specified under these Regulations.

- (2) Subject to other provisions of these Regulations, the liquidator shall make the reports and minutes referred to sub-regulation (1) available to a stakeholder in either electronic or physical form, on receipt of-
 - (a) an application in writing;
 - (b) cost of making such reports available to it; and
 - (c) an undertaking from the stakeholder that it shall maintain confidentiality of such reports and shall not use these to cause an undue gain or undue loss to itself or any other person.

9. Preliminary Report.

- (1) The liquidator shall submit a Preliminary Report to the corporate person within forty five days from the liquidation commencement date, detailing-
 - (a) the capital structure of the corporate person;
 - (b) the estimates of its assets and liabilities as on the liquidation commencement date based on the books of the corporate person:

Provided that if the liquidator has reasons to believe, to be recorded in writing, that the books of the corporate person are not reliable, he shall also provide such estimates based on reliable records and data otherwise available to him;

- (c) Whether he intends to make any further inquiry in to any matter relating to the promotion, formation or failure of the corporate person or the conduct of the business thereof; and
- (d) the proposed plan of action for carrying out the liquidation, including the timeline within which he proposes to carry it out and the estimated liquidation costs.

10. Registers and books of account.

- (1) Where the books of account of the corporate person are incomplete on the liquidation commencement date, the liquidator shall have them completed and brought up-to-date, with all convenient speed.
- (2) The liquidator shall maintain the following registers and books, as may be applicable, in relation to the liquidation of the corporate debtor:-
 - (a) Cash Book;
 - (b) Ledger;
 - (c) Bank Ledger;
 - (d) Register of Fixed Assets and Inventories;
 - (e) Securities and Investment Register;

- (f) Register of Book Debts and Outstanding Debts;
 - (g) Tenants Ledger;
 - (h) Suits Register;
 - (i) Decree Register;
 - (j) Register of Claims and Dividends;
 - (k) Contributories Ledger;
 - (l) Distributions Register;
 - (m) Fee Register;
 - (n) Suspense Register;
 - (o) Documents Register;
 - (p) Books Register;
 - (q) Register of unclaimed dividends and undistributed properties deposited in accordance with Regulation 39; and
 - (r) such other books or registers as may be necessary to account for transactions entered into by him in relation to the corporate debtor.
- (3) The registers and books under sub-regulation (2) may be maintained in the forms indicated in Schedule II, with such modifications as the liquidator may deem fit in the facts and circumstances of the liquidation.
- (4) The liquidator shall keep receipts for all payments made or expenses incurred by him.

11. Engagement of professionals.

- (1) A liquidator may engage professionals to assist him in the discharge of his duties, obligations and functions for a reasonable remuneration and such remuneration shall form part of the liquidation cost.
- (2) The liquidator shall not engage a professional under sub-regulation (1) who is his relative, is a related party of the corporate person or has served as an auditor to the corporate person at any time during the five years preceding the liquidation commencement date.
- (3) A professional engaged or proposed to be engaged under sub-regulation (1) shall disclose the existence of any pecuniary or personal relationship with any of the stakeholders, or the corporate person as soon as he becomes aware of it, to the liquidator.

12. Consultation with stakeholders.

- (1) The stakeholders consulted under section 35(2) shall extend all assistance and cooperation to the liquidator to complete the liquidation of the corporate person.
- (2) The liquidator shall maintain the particulars of any consultation with the stakeholders made under this Regulation.

13. Extortionate credit transactions.

A transaction shall be considered an extortionate credit transaction under section 50(2) where the terms-

- (a) require the corporate person to make exorbitant payments in respect of the credit provided; or
- (b) are unconscionable under the principles of law relating to contracts.

14. Public announcement by the liquidator.

- (1) The liquidator shall make a public announcement in Form A of Schedule I within five days from his appointment.
- (2) The public announcement shall-
 - (a) call upon stakeholders to submit their claims as on the liquidation commencement date; and
 - (b) provide the last date for submission of claim, which shall be thirty days from the liquidation commencement date.

- (3) The announcement shall be published-
- (a) in one English and one regional language newspaper with wide circulation at the location of the registered office and principal office, if any, of the corporate person and any other location where in the opinion of the liquidator, the corporate person conducts material business operations;
 - (b) on the website, if any, of the corporate person; and
 - (c) on the website, if any, designated by the Board for this purpose.

CHAPTER V

CLAIMS

15. Proof of claim.

A person, who claims to be a stakeholder, shall prove his claim for debt or dues to him, including interest, if any, as on the liquidation commencement date.

16. Claims by operational creditors.

- (1) A person claiming to be an operational creditor of the corporate person, other than a workman or employee, shall submit proof of claim to the liquidator in person, by post or by electronic means in Form B of Schedule I.
- (2) The existence of debt due to an operational creditor under this Regulation may be proved on the basis of-
 - (a) the records available with an information utility; or
 - (b) other relevant documents which adequately establish the debt, including any of the following -
 - (i) a contract for the supply of goods or services with corporate person, supported by an invoice demanding payment for the goods and services supplied to the corporate person;
 - (ii) an order of a court or tribunal that has adjudicated upon the non-payment of a debt, if any; and
 - (iii) financial accounts of the corporate person.

17. Claims by financial creditors.

- (1) A person claiming to be a financial creditor of the corporate person shall submit proof of claim to the liquidator in electronic means in Form C of Schedule I.
- (2) The existence of debt due to the financial creditor may be proved on the basis of-
 - (a) the records available in an information utility; or
 - (b) other relevant documents which adequately establish the debt, including any or all of the following -
 - (i) a financial contract supported by financial statements as evidence of the debt;
 - (ii) a record evidencing that the amounts committed by the financial creditor to the corporate person under a facility has been drawn by the corporate person;
 - (iii) financial statements showing that the debt has not been repaid; and
 - (iv) an order of a court or tribunal that has adjudicated upon the non-payment of a debt, if any.

18. Claims by workmen and employees.

- (1) A person claiming to be a workman or an employee of the corporate person shall submit proof of claim to the liquidator in person, by post or by electronic means in Form D of Schedule I.
- (2) Where there are dues to numerous workmen or employees of the corporate person, an authorized representative may submit one proof of claim for all such dues on their behalf in Form E of Schedule I.
- (3) The existence of dues to workmen or employees may be proved by them, individually or collectively, on the basis of-
 - (a) records available in an information utility; or
 - (b) other relevant documents which adequately establish the dues, including any or all of the following -

- (i) a proof of employment such as contract of employment for the period for which such workman or employee is claiming dues;
- (ii) evidence of notice demanding payment of unpaid amount and any documentary or other proof that payment has not been made; and
- (iii) an order of a court or tribunal that has adjudicated upon the non-payment of dues, if any.
- (4) The liquidator shall admit the claims of a workman or an employee on the basis of the books of account of the corporate person if such workman or employee has not made a claim.

19. Claims by other stakeholders.

- (1) A person, claiming to be a stakeholder other than those under Regulations 16, 17 or 18 shall submit proof of claim to the liquidator in person, by post or by electronic means in Form F of Schedule I.
- (2) The existence of the claim of the stakeholder may be proved on the basis of -
 - (a) the records available in an information utility; or
 - (b) other relevant documents which adequately establish the claim, including any or all of the following-
 - (i) documentary evidence of notice demanding payment of unpaid amount or bank statements of the claimant showing that the claim has not been paid and an affidavit that the documentary evidence and bank statements are true, valid and genuine;
 - (ii) documentary or electronic evidence of his shareholding; and
 - (iii) an order of a court, tribunal or other authority that has adjudicated upon the non-payment of a claim, if any.

20. Proving security interest.

The existence of a security interest may be proved by a secured creditor on the basis of-

- (a) the records available in an information utility;
- (b) certificate of registration of charge issued by the Registrar of Companies;
- (c) proof of registration of charge with the Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India; or
- (d) other relevant documents which adequately establish the security interest.

21. Production of bills of exchange and promissory notes.

Where a person seeks to prove a debt in respect of a bill of exchange, promissory note or other negotiable instrument or security of a like nature for which the corporate person is liable, such bill of exchange, note, instrument or security, as the case may be, shall be produced before the liquidator before the claim is admitted.

22. Substantiation of claims.

The liquidator may call for such other evidence or clarification as he deems fit from a claimant for substantiating the whole or part of its claim.

23. Cost of proof.

- (1) A claimant shall bear the cost of proving its claim.
- (2) Costs incurred by the liquidator for verification and determination of a claim shall form part of liquidation cost:

Provided that if a claim or part of the claim is found to be false, the liquidator shall endeavor to recover the costs incurred for verification and determination of claim from such claimant, and shall provide the details of the claimant to the Board.

24. Determination of quantum of claim.

Where the amount claimed by a claimant is not precise due to any contingency or any other reason, the liquidator shall make the best estimate of the amount of the claim, based on consultation with the claimant and the corporate person and the information available with him.

25. Debt in foreign currency.

The claims denominated in foreign currency shall be valued in Indian currency at the official exchange rate as on the liquidation commencement date.

Explanation- “The official exchange rate” is the reference rate published by the Reserve Bank of India or derived from such reference rates.

26. Periodical payments.

In the case of rent, interest and such other payments of a periodical nature, a person may claim only for any amounts due and unpaid up to the liquidation commencement date.

27. Debt payable at future time.

- (1) A person may prove for a claim whose payment was not yet due on the liquidation commencement date and is entitled to distribution in the same manner as any other stakeholder.
- (2) Subject to any contract to the contrary, where a stakeholder has proved for a claim under sub-regulation (1), and the debt has not fallen due before distribution, he is entitled to distribution of the admitted claim reduced as follows-

$$X / (1+r)^n$$

where—

- (a) “X” is the value of the admitted claim;
- (b) “r” is the closing yield rate (%) of government securities of the maturity of “n” on the date of distribution as published by the Reserve Bank of India; and
- (c) “n” is the period beginning with the date of distribution and ending with the date on which the payment of the debt would otherwise be due, expressed in years and months in a decimalized form.

28. Mutual credits and set-off.

Where there are mutual dealings between the corporate person and another party, the sums due from one party shall be set off against the sums due from the other to arrive at the net amount payable to the corporate person or to the other party.

Illustration: X owes Rs.100 to the corporate person. The corporate person owes Rs.70 to X. After set off, Rs.30 is payable by X to the corporate person.

29. Verification of claims

- (1) The liquidator shall verify the claims submitted within thirty days from the last date for receipt of claims and may either admit or reject the claim, in whole or in part, as the case may be, as per section 40 of the Code.
- (2) A creditor may appeal to the Adjudicating Authority against the decision of the liquidator as per section 42 of the Code.

30. List of stakeholders.

- (1) The liquidator shall prepare a list of stakeholders on the basis of proofs of claims submitted and accepted under these Regulations, with-
 - (a) the amounts of claim admitted, if applicable,
 - (b) the extent to which the debts or dues are secured or unsecured, if applicable,
 - (c) the details of the stakeholders, and
 - (d) the proofs admitted or rejected in part, and the proofs wholly rejected.
- (2) The liquidator shall prepare the list of stakeholders within forty-five days from the last date for receipt of claims.
- (3) The list of stakeholders, as modified from time to time, shall be-
 - (a) available for inspection by the persons who submitted proofs of claim;
 - (b) available for inspection by members, partners, directors and guarantors of the corporate person;

- (c) displayed on the website, if any, of the corporate person;
- (d) displayed on the website, if any, designated by the Board for this purpose.

CHAPTER VI

REALISATION OF ASSETS

31. Manner of sale.

The liquidator may value and sell the assets of the corporate person in the manner and mode approved by the corporate person in compliance with provisions, if any, in the applicable statute.

Explanation: “assets” include an asset, all assets, a set of assets or parcel of assets, as the case may be, in relation to sale of assets.

32. Recovery of monies due.

The liquidator shall endeavor to recover and realize all assets of and dues to the corporate person in a time-bound manner for maximization of value for the stakeholders.

33. Liquidator to realize uncalled capital or unpaid capital contribution.

- (1) The liquidator shall realize any amount due from any contributory to the corporate person.
- (2) Notwithstanding any charge or encumbrance on the uncalled capital of the corporate person, the liquidator shall be entitled to call and realize the uncalled capital of the corporate person and to collect the arrears if any due on calls made prior to the liquidation commencement date, by providing a notice to the contributory to make the payments within fifteen days from the receipt of the notice, but shall hold all moneys so realized subject to the rights, if any, of the holder of any such charge or encumbrance.
- (3) No distribution shall be made to a contributory, unless he makes his contribution to the uncalled or unpaid capital as required in the constitutional documents of the corporate person.

CHAPTER VII

PROCEEDS OF LIQUIDATION AND DISTRIBUTION OF PROCEEDS

34. All money to be paid in to bank account.

- (1) The liquidator shall open a bank account in the name of the corporate person followed by the words ‘in voluntary liquidation’, in a scheduled bank, for the receipt of all moneys due to the corporate person.
- (2) The liquidator shall pay to the credit of the bank account opened under sub-regulation (1) all moneys, including cheques and demand drafts received by him as the liquidator of the corporate person, and the realizations of each day shall be deposited into the bank account without any deduction not later than the next working day.
- (3) The money in the credit of the bank account shall not be used except in accordance with section 53(1).
- (4) All payments out of the account by the liquidator above five thousand rupees shall be made by cheques drawn or online banking transactions against the bank account.

35. Distribution.

- (1) The liquidator shall distribute the proceeds from realization within six months from the receipt of the amount to the stakeholders.
- (2) The liquidation costs shall be deducted before such distribution is made.
- (3) The liquidator may, with the approval of the corporate person, distribute amongst the stakeholders, an asset that cannot be readily or advantageously sold due to its peculiar nature or other special circumstances.

36. Return of money.

A stakeholder shall forthwith return any monies received by him in distribution, which he was not entitled to at the time of distribution, or subsequently became not entitled to.

37. Completion of liquidation.

- (1) The liquidator shall endeavor to complete the liquidation process of the corporate person within twelve months from the liquidation commencement date.
- (2) In the event of the liquidation process continuing for more than twelve months, the liquidator shall-
 - (a) hold a meeting of the contributories of the corporate person within fifteen days from the end of the twelve months from the liquidation commencement date, and at the end every succeeding twelve months till dissolution of the corporate person; and
 - (b) shall present an Annual Status Report(s) indicating progress in liquidation, including-
 - (i) settlement of list of stakeholders,
 - (ii) details of any assets that remains to be sold and realized,
 - (iii) distribution made to the stakeholders, and
 - (iv) distribution of unsold assets made to the stakeholders;
 - (v) developments in any material litigation, by or against the corporate person; and
 - (vi) filing of, and developments in applications for avoidance of transactions in accordance with Chapter III of Part II of the Code.
- (3) The Annual Status Report shall enclose the audited accounts of the liquidation showing the receipts and payments pertaining to liquidation since the liquidation commencement date.

38. Final Report.

- (1) On completion of the liquidation process, the liquidator shall prepare the Final Report consisting of -
 - (a) audited accounts of the liquidation, showing receipts and payments pertaining to liquidation since the liquidation commencement date; and
 - (b) a statement demonstrating that-
 - (i) the assets of the corporate person has been disposed of;
 - (ii) the debt of the corporate person has been discharged to the satisfaction of the creditors;
 - (iii) no litigation is pending against the corporate person or sufficient provision has been made to meet the obligations arising from any pending litigation.
 - (c) a sale statement in respect of all assets containing -
 - (i) the realized value;
 - (ii) cost of realization, if any;
 - (iii) the manner and mode of sale;
 - (iv) an explanation for the shortfall, if the value realized is less than the value assigned by the registered valuer in the report of the valuation of assets under section 59(3)(b)(ii) or Regulation 3(1)(b)(ii), as the case may be;
 - (v) the person to whom the sale is made; and
 - (vi) any other relevant details of the sale.
- (2) The liquidator shall send the Final Report forthwith, to the Registrar and the Board.
- (3) The liquidator shall submit the Final Report to the Adjudicating Authority along with the application under section 59(7).

39. Unclaimed proceeds of liquidation or undistributed assets.

- (1) Before the order of dissolution is passed under section 59(8), the liquidator shall apply to the Adjudicating Authority for an order to pay into the Companies Liquidation Account in the Public Account of India any unclaimed proceeds of liquidation or undistributed assets or any other balance payable to the stakeholders in his hands on the date of the order of dissolution.
- (2) Any liquidator who retains any money which should have been paid by him into the Companies Liquidation Account under this Regulation shall pay interest on the amount retained at the rate of twelve per cent per annum, and also pay such penalty as may be determined by the Board.
- (3) The liquidator shall, when making any payment referred to in sub-regulation (1), furnish to the Registrar and the Board, a statement setting forth the nature of the sums included, the names and last known addresses of the stakeholders entitled to participate therein, the amount to which each is entitled to and the nature of their claim.
- (4) The liquidator shall be entitled to a receipt from the Reserve Bank of India for any money paid to it under sub-regulation (2), and such receipt shall be an effectual discharge of the liquidator in respect thereof.
- (5) A person claiming to be entitled to any money paid into the Companies Liquidation Account may apply to the Board for an order for payment of the money claimed; which may, if satisfied that such person is entitled to the whole or any part of the money claimed, make an order for the payment to that person of the sum due to him, after taking such security from him as it may think fit.

(6) Any money paid into the Companies Liquidation Account in pursuance of this Regulation, which remains unclaimed thereafter for a period of fifteen years shall be transferred to the general revenue account of the Central Government.

40. Detection of Fraud or Insolvency

- (1) Where the liquidator is of the opinion that the liquidation is being done to defraud a person, he shall make an application to the Adjudicatory Authority to suspend the process of liquidation and pass any such orders as it deems fit.
- (2) Where the liquidator is of the opinion that the corporate person will not be able to pay its debts in full from the proceeds of assets to be sold in the liquidation, he shall make an application to the Adjudicating Authority to suspend the process of liquidation and pass any such orders as it deems fit.

41. Preservation of records.

The liquidator shall preserve a physical or an electronic copy of the reports, registers and books of account referred to in Regulations 8 and 10 for at least eight years after the dissolution of the corporate person, either with himself or with an information utility.

SCHEDULE I

FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017)

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF [Name of Corporate person]

1.	NAME OF CORPORATE PERSON	
2.	DATE OF INCORPORATION OF CORPORATE PERSON	
3.	AUTHORITY UNDER WHICH CORPORATE PERSON IS INCORPORATED / REGISTERED	
4.	CORPORATE IDENTITY NUMBER / LIMITED LIABILITY IDENTITY NUMBER OF CORPORATE PERSON	
5.	ADDRESS OF THE REGISTERED OFFICE AND PRINCIPAL OFFICE (IF ANY) OF CORPORATE PERSON	
6.	LIQUIDATION COMMENCEMENT DATE OF CORPORATE PERSON	
7.	NAME, ADDRESS, EMAIL ADDRESS, TELEPHONE NUMBER AND THE REGISTRATION NUMBER OF THE LIQUIDATOR	
8.	LAST DATE FOR SUBMISSION OF CLAIMS	

Notice is hereby given that the [name of the corporate person] has commenced voluntary liquidation on [liquidation commencement date].

The stakeholders of [name of the corporate person] are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before [insert the date falling thirty days after the liquidation commencement date], to the liquidator at the address mentioned against item 7.

The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Name and Signature of the Liquidator:

Date and Place:

FORM B**PROOF OF CLAIM BY OPERATIONAL CREDITORS EXCEPT WORKMEN AND EMPLOYEES***(Under Regulation 16 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017)*

[Date]

To

The Liquidator

[Name of the Liquidator]

[Address as set out in the public announcement]

From

[Name and address of the operational creditor]

Subject: Submission of proof of claim in respect of the voluntary liquidation of [name of corporate person] under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

Madam/Sir,

[Name of the operational creditor] hereby submits this proof of claim in respect of the voluntary liquidation of [name of corporate person]. The details for the same are set out below:

1.	NAME OF OPERATIONAL CREDITOR (IF AN INCORPORATED BODY PROVIDE IDENTIFICATION NUMBER AND PROOF OF INCORPORATION, IF A PARTNERSHIP OR INDIVIDUAL PROVIDE IDENTIFICATION RECORDS* OF ALL THE PARTNERS OR THE INDIVIDUAL)	
2.	ADDRESS OF OPERATIONAL CREDITOR FOR CORRESPONDENCE	
3.	TOTAL AMOUNT OF CLAIM, INCLUDING ANY INTEREST, AS AT VOLUNTARY LIQUIDATION PROCESS COMMENCEMENT DATE AND DETAILS OF NATURE OF CLAIM	
4.	DETAILS OF ANY DISPUTE AS WELL AS THE RECORD OF PENDENCY OF SUIT OR ARBITRATION PROCEEDINGS	
5.	DETAILS OF HOW AND WHEN DEBT INCURRED	
6.	DETAILS OF ANY MUTUAL CREDIT, MUTUAL DEBTS, OR OTHER MUTUAL DEALINGS BETWEEN THE CORPORATE PERSON AND THE OPERATIONAL CREDITOR WHICH MAY BE SET-OFF AGAINST THE CLAIM	
7.	DETAILS OF ANY RETENTION OF TITLE IN RESPECT OF GOODS OR PROPERTIES TO WHICH THE DEBT REFERS OR ANY OTHER SECURITY	
8.	DETAILS OF ANY ASSIGNMENT OR TRANSFER OF DEBT IN HIS FAVOUR	
9.	DETAILS OF THE BANK ACCOUNT TO WHICH THE OPERATIONAL CREDITOR'S SHARE OF THE PROCEEDS OF LIQUIDATION CAN BE TRANSFERRED	
10.	LIST OUT AND ATTACH THE DOCUMENTS RELIED ON IN SUPPORT OF THE CLAIM.	

Signature of operational creditor or person authorised to act on his behalf (Please enclose the authority if this is being submitted on behalf of the operational creditor)	
Name in BLOCK LETTERS	
Position with or in relation to creditor	
Address of person signing	

*PAN, Passport, AADHAAR Card or the identity card issued by the Election Commission of India.

AFFIDAVIT

I, [*name of deponent*], currently residing at [*address of deponent*], do solemnly affirm and state as follows:

1. The above named corporate person was, at liquidation commencement date, that is, the _____ day of _____ 20_____ and still is, justly and truly indebted to me [or to me and [*insert name of co-partners*], my co-partners in trade, or, as the case may be] for a sum of Rs. _____ for _____ [*please state consideration*].

2. In respect of my claim of the said sum or any part thereof, I have relied on and the documents specified below:

[*Please list out the documents relied on as evidence of debt.*]

3. The said documents are true, valid and genuine to the best of my knowledge, information and belief.

4. In respect of the said sum or any part thereof, I have not, nor have my partners or any of them, nor has any person, by my/our order, to my/our knowledge or belief, for my/ our use, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following:

[*Please state details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate person and the operational creditor which may be set-off against the claim.*]

Solemnly, affirmed at _____ on _____ day, the _____ day of _____ 20_____

Before me,

Notary / Oath Commissioner

Deponent's signature

VERIFICATION

I, the Deponent hereinabove, do hereby verify and affirm that the contents of para ___ to ___ of this affidavit are true and correct to my knowledge and belief. Nothing is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at _____ on this _____ day of _____ 201_____

Deponent's signature

FORM C**PROOF OF CLAIM BY FINANCIAL CREDITORS***(Under Regulation 17 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017)*

[Date]

To

The Liquidator

[Name of the Liquidator]

[Address as set out in the public announcement]

From

[Name and address of the registered office and principal office of the financial creditor]

Subject: Submission of proof of claim in respect of the voluntary liquidation of [name of corporate person] under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

Madam/Sir,

[Name of the financial creditor] hereby submits this proof of claim in respect of the voluntary liquidation of [name of corporate person]. The details for the same are set out below:

1.	NAME OF FINANCIAL CREDITOR (IF AN INCORPORATED BODY PROVIDE IDENTIFICATION NUMBER AND PROOF OF INCORPORATION, IF A PARTNERSHIP OR INDIVIDUAL PROVIDE IDENTIFICATION RECORDS* OF ALL THE PARTNERS OR THE INDIVIDUAL)	
2.	ADDRESS AND EMAIL OF FINANCIAL CREDITOR FOR CORRESPONDENCE.	
3.	TOTAL AMOUNT OF CLAIM, INCLUDING ANY INTEREST, AS AT THE LIQUIDATION COMMENCEMENT DATE AND DETAILS OF NATURE OF CLAIM (WHETHER TERM LOAN, SECURED, UNSECURED)	
4.	DETAILS OF ANY ORDER OF A COURT OF TRIBUNAL THAT HAS ADJUDICATED ON THE NON-PAYMENT OF DEBT	
5.	DETAILS OF HOW AND WHEN DEBT INCURRED	
6.	DETAILS OF ANY MUTUAL CREDIT, MUTUAL DEBTS, OR OTHER MUTUAL DEALINGS BETWEEN THE CORPORATE PERSON AND THE FINANCIAL CREDITOR WHICH MAY BE SET-OFF AGAINST THE CLAIM	
7.	DETAILS OF ANY SECURITY HELD, THE VALUE OF THE SECURITY, AND THE DATE IT WAS GIVEN	
8.	DETAILS OF ANY ASSIGNMENT OR TRANSFER OF DEBT IN HIS FAVOUR	
9.	DETAILS OF THE BANK ACCOUNT TO WHICH THE FINANCIAL CREDITOR'S SHARE OF THE PROCEEDS OF LIQUIDATION CAN BE TRANSFERRED	
10.	LIST OUT AND ATTACH THE DOCUMENTS BY REFERENCE TO WHICH THE DEBT CAN BE SUBSTANTIATED AND IN SUPPORT OF THE CLAIM.	

Signature of financial creditor or person authorised to act on his behalf (please enclose the authority if this is being submitted on behalf a financial creditor)	
Name in BLOCK LETTERS	
Position with or in relation to creditor	
Address of person signing	

*PAN, Passport, AADHAAR Card or the identity card issued by the Election Commission of India.

AFFIDAVIT

I, [*name of deponent*], currently residing at [*address of deponent*], do solemnly affirm and state as follows:

1. The above named corporate person was, at the voluntary liquidation commencement date, that is, the _____ day of _____ 20____ and still is, justly and truly indebted to me [or to me and [*insert name of co-partners*], my co-partners in trade, or, as the case may be] for a sum of Rs. _____ for [*please state consideration*].

2. In respect of my claim of the said sum or any part thereof, I have relied on the documents specified below:
[*Please list the documents relied on as evidence of debt and of non-payment.*]

3. The said documents are true, valid and genuine to the best of my knowledge, information and belief.

4. In respect of the said sum or any part thereof, I have not, nor have my partners or any of them, nor has any person, by my/our order, to my/our knowledge or belief, for my/ our use, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following:

[*Please state details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate person and the financial creditor which may be set-off against the claim.*]

Solemnly, affirmed at _____ on _____ day, the _____ day of _____ 20____

Before me,

Notary / Oath Commissioner.

Deponent's signature.

VERIFICATION

I, the Deponent hereinabove, do hereby verify and affirm that the contents of para ___ to ___ of this affidavit are true and correct to my knowledge and belief. Nothing is false and nothing material has been concealed there from.

Verified at _____ on this _____ day of _____ 201____.

Deponent's signature.

FORM D**PROOF OF CLAIM BY A WORKMAN OR EMPLOYEE**

(Under Regulation 18(1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017)

[Date]

To

The Liquidator

[Name of the Liquidator]

[Address as set out in public announcement]

From

[Name and address of the workman / employee]

Subject: Submission of proof of claim in respect of voluntary liquidation of (Name of corporate person) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

Madam/Sir,

[Name of the workman / employee], hereby submits this proof of claim in respect of the voluntary liquidation of [name of corporate person]. The details for the same are set out below:

1.	NAME OF WORKMAN / EMPLOYEE	
2.	PAN, PASSPORT, THE IDENTITY CARD ISSUED BY THE ELECTION COMMISSION OF INDIA OR AADHAAR CARD OF WORKMAN / EMPLOYEE	
3.	ADDRESS AND EMAIL ADDRESS (IF ANY) OF WORKMAN/EMPLOYEE FOR CORRESPONDENCE	
4.	TOTAL AMOUNT OF CLAIM (INCLUDING ANY INTEREST AS AT THE VOLUNTARY LIQUIDATION COMMENCEMENT DATE)	
5.	DETAILS OF ANY DISPUTE AS WELL AS THE RECORD OF PENDENCY OR ORDER OF SUIT OR ARBITRATION PROCEEDINGS	
6.	DETAILS OF HOW AND WHEN CLAIM AROSE	
7.	DETAILS OF ANY MUTUAL CREDIT, MUTUAL DEBTS, OR OTHER MUTUAL DEALINGS BETWEEN THE CORPORATE PERSON AND THE WORKMAN / EMPLOYEE WHICH MAY BE SET-OFF AGAINST THE CLAIM	
8.	DETAILS OF THE BANK ACCOUNT TO WHICH THE WORKMAN / EMPLOYEE'S SHARE OF THE PROCEEDS OF LIQUIDATION CAN BE TRANSFERRED	
9.	LIST OUT AND ATTACH THE DOCUMENTS BY REFERENCE TO WHICH THE DEBT CAN BE SUBSTANTIATED AND RELIED ON IN SUPPORT OF THE CLAIM.	

Signature of workman / employee or person authorised to act on his behalf [Please enclose the authority if this is being submitted on behalf of an operational creditor]
Name in BLOCK LETTERS
Position with or in relation to creditor
Address of person signing

AFFIDAVIT

I, [name of deponent], currently residing at [insert address], do solemnly affirm and state as follows:

1. [Name of corporate person], the corporate person was, at the liquidation commencement date, that is, the _____ day of _____ 20__, justly and truly indebted to me for a sum of Rs. [insert amount of claim].

2. In respect of my claim of the said sum or any part thereof, I have relied on the documents specified below:

[Please list the documents relied on as evidence of claim]

The said documents are true, valid and genuine to the best of my knowledge, information and belief.

3. In respect of the said sum or any part thereof, I have not nor has any person, by my order, to my knowledge or belief, for my use, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following:

[Please state details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate person and the workman / employee which may be set-off against the claim.]

Solemnly, affirmed at [insert place] on _____ day, the _____ day of _____ 20_____

Before me,

Notary/ Oath Commissioner

Deponent's signature

VERIFICATION

I, the Deponent hereinabove, do hereby verify and affirm that the contents of paragraph ___ to ___ of this affidavit are true and correct to my knowledge and belief and no material facts have been concealed there from.

Verified at _____ on this _____ day of _____ 201__

Deponent's signature.

FORM E**PROOF OF CLAIM BY AUTHORISED REPRESENTATIVE OF WORKMEN OR EMPLOYEES**

(Under Regulation 18(2) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017)

[Date]

To

The Liquidator

[Name of the Liquidator]

[Address as set out in the public announcement]

From

[Name and address of the authorised representative of workmen/ employees]

Subject: Submission of proof of claim in respect of the voluntary liquidation of [name of corporate person] under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

Madam/Sir,

I, [name of duly authorised representative of the workmen/ employees] currently residing at [address of duly authorised representative of the workmen/ employees], on behalf of the workmen and employees employed by the above named corporate person, solemnly affirm and say:

1. That the abovenamed corporate person was, on the voluntary liquidation commencement date, that is, the _____ day of _____ 20 ____ and still is, justly truly indebted to the several persons whose names, addresses, and descriptions appear in the Annexure below for amounts severally set against their names in such Annexure for wages, remuneration and other amounts due to them respectively as workmen or/ and employees in the employ of the corporate person in respect of services rendered by them respectively to the corporate person during such periods as are set out against their respective names in the said Annexure.
2. That for which said sums or any part thereof, they have not, nor has any of them, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following:

[Please state details of any mutual credits, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate person and the workmen / employees which may be set-off against the claim.]

Signature :

ANNEXURE

1. Particulars of how dues were incurred by the corporate person, including particulars of any dispute as well as the record of pendency of suit or arbitration proceedings.
 2. Particulars of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate person and the workmen / employee which may be set-off against the claim.
 3. Please list out and attach the documents relied on to prove the claim.
1. Details of Employees/ Workmen

S. No.	NAME OF EMPLOYEE/ WORKMEN	IDENTIFICATION NUMBER (PAN/, PASSPORT NUMBER/, AADHAAR NO. / ID CARD ISSUED BY THE ELECTION COMMISSION AND EMPLOYEE NO., IF ANY	TOTAL AMOUNT DUE AND DETAILS ON NATURE OF CLAIM	PERIOD OVER WHICH AMOUNT DUE	DETAILS OF EVIDENCE OF DEBT INCLUDING EMPLOYMENT CONTRACTS AND OTHER PROOFS
1.					
2.					
3.					

AFFIDAVIT

I, [insert full name, address and occupation of deponent] do solemnly affirm and state as follows:

1. The above named corporate person was, at the liquidation commencement date that is, the _____ day of _____ 20__ and still is, justly and truly indebted to the workmen and employees for a sum of Rs. _____ for _____ [please state the nature and duration of employment].

2. In respect of my claim of the said sum or any part thereof, I have relied on the documents specified below:

[Please list the documents relied on as evidence of proof]

3. The said documents are true, valid and genuine to the best of my knowledge, information and belief.

4. In respect of the said sum or any part thereof, the workmen / employees have not, nor has any person, by my order, to my knowledge or belief, for my use, had or has received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following:

[Please state details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate person and the workmen / employees which may be set-off against the claim.]

Solemnly, affirmed at _____ on _____ day, the _____ day of _____ 20_____

Before me,

Notary / Oath Commissioner.

Deponent's signature

VERIFICATION

I, the Deponent hereinabove, do hereby verify and affirm that the contents of para ___ to ___ of this affidavit are true and correct to my knowledge and belief. Nothing is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at _____ on this _____ day of _____ 201_____

Deponent's signature

FORM F
PROOF OF CLAIM BY ANY OTHER STAKEHOLDER

(Under Regulation 19 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017)

[Date]

To

The Liquidator

[Name of the Liquidator]

[Address as set out in the public announcement]

From

[Name and address of the other stakeholder]

Subject: Submission of proof of claim in respect of the voluntary liquidation of [name of corporate person] under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

Madam/Sir,

[Name of the stakeholder] hereby submits this proof of claim in respect of the liquidation in the case of [name of corporate person]. The details for the same are set out below:

1.	NAME OF STAKE-HOLDER (IF AN INCORPORATED BODY PROVIDE IDENTIFICATION NUMBER AND PROOF OF INCORPORATION. IF A PARTNERSHIP OR INDIVIDUAL PROVIDE IDENTIFICATION RECORDS* OF ALL THE PARTNERS OR THE INDIVIDUAL)	
2.	ADDRESS AND EMAIL OF THE STAKEHOLDER FOR CORRESPONDENCE.	
3.	TOTAL AMOUNT OF CLAIM, INCLUDING ANY INTEREST AS AT LIQUIDATION COMMENCEMENT AND DETAILS OF NATURE OF CLAIM	
4.	DETAILS OF HOW AND WHEN CLAIM AROSE	
5.	DETAILS OF ANY MUTUAL CREDIT, MUTUAL DEBTS, OR OTHER MUTUAL DEALINGS BETWEEN THE CORPORATE PERSON AND THE OTHER STAKEHOLDER WHICH MAY BE SET-OFF AGAINST THE CLAIM	
6.	DETAILS OF ANY RETENTION OF TITLE IN RESPECT OF GOODS OR PROPERTIES TO WHICH THE CLAIM REFERS	

7.	DETAILS OF ANY ASSIGNMENT OR TRANSFER OF DEBT IN HIS FAVOUR	
8.	DETAILS OF THE BANK ACCOUNT TO WHICH THE OTHER STAKEHOLDER'S SHARE OF THE PROCEEDS OF LIQUIDATION CAN BE TRANSFERRED	
9.	LIST OUT AND ATTACH THE DOCUMENTS BY REFERENCE TO WHICH THE CLAIM CAN BE SUBSTANTIATED OR WHICH CAN BE RELIED UPON IN SUPPORT OF THE CLAIM.	

Signature of stakeholder or person authorised to act on his behalf (Please enclose the authority if this is being submitted on behalf of the other stakeholder)
Name in BLOCK LETTERS
Position with or in relation to creditor
Address of person signing

*PAN, Passport, AADHAAR Card or the identity card issued by the Election Commission of India.

AFFIDAVIT

I, *[insert full name, address and occupation of deponent to be given]* do solemnly affirm and state as follows:

1. The above named corporate person was, at the liquidation commencement date, that is, the _____ day of _____ 20__ and still is, justly and truly indebted to me [or to me and *[insert name of co-partner]*, my co-partners in trade, or, as the case may be,] for a sum of Rs. _____ for _____ *[please state consideration]*.
2. In respect of my claim of the said sum or any part thereof, I have relied on the documents specified below:
[Please list the documents relied on as evidence of proof.]
3. The said documents are true, valid and genuine to the best of my knowledge, information and belief.

Under column 'particulars', the head of account to which the entry relates to should be indicated so that the entry may be posted under the proper head in the General Ledger.

GENERAL LEDGER

Name of Corporate person.....(in liquidation)

.....(Head of account)

<i>Date</i>	<i>Particulars</i>	<i>Dr.</i> <i>(Rs.)</i>	<i>Cr.</i> <i>(Rs.)</i>	<i>Balance</i> <i>(Rs.)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>

Instructions:

1. A General Ledger should be maintained with such heads of account as the liquidator may think necessary and appropriate. The following heads of account may be found suitable:

- (1) Asset account
- (2) Investments account
- (3) Book Debts and Outstandings account
- (4) Calls
- (5) Rent Collected/rent receivable
- (6) Interest on Securities and Deposits
- (7) Advances received
- (8) Miscellaneous receipts payments
- (9) Establishment
- (10) Legal charges
- (11) Rents, Rates and Taxes payable
- (12) Fees and Commission account
- (13) Other expenses
- (14) Suspense account
- (15) Secured creditors
- (16) Dividend account.

2. The entries in the General Ledger should be posted from the Cash Book.

3. The total of the debit balances and the total of the credit balances of the several heads of account in the General Ledger should agree, after taking into consideration the cash and bank balances as shown in the Cash Book. The totals should be tallied once a month.

Instructions:

1. Applications made by or against the corporate person which are in the nature of suits should also be entered in this Register.

DECREE REGISTER

<i>Number of suit or appeal and court</i>	<i>Name and address of judgment debtor</i>	<i>Amount Decreed (Rs.)</i>	<i>Date of decree</i>	<i>Action taken</i>	<i>Amount realized (Rs.)</i>	<i>Date of realisation</i>	<i>Reference to Suits Register</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.							
2.							

Instructions:

1. The purpose of the Register is to enable the liquidator to keep watch on the progress of the realization of decrees in favor of the corporate person in his charge.
2. Every decree or order for payment of money or delivery of assets in favor of the corporate person including an order for payment of costs whether made in a suit, appeal or application, should be entered in this Register.

REGISTER OF CLAIMS AND DISTRIBUTIONS

<i>Claims</i>						<i>Distributions declared and paid</i>									<i>Remarks</i>
<i>Sl. No.</i>	<i>Name and Address of creditor</i>	<i>Amount claim (Rs.)</i>	<i>Nature of claim (Rs.)</i>	<i>Amount admitted (Rs.)</i>	<i>Whether ordinary or preferential</i>	<i>Date</i>	<i>Amount (Rs.)</i>	<i>Date and Mode of Payment</i>	<i>Rate</i>	<i>Amount (Rs.)</i>	<i>Date and mode of payment</i>	<i>Rate</i>	<i>Amount (Rs.)</i>	<i>Date and mode of payment</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>
1.															
2.															

Instructions:

1. Only claims admitted either wholly or in part should be entered in this Register.
2. The page on the left side should be reserved for claims and the page on the right side for Distributions.

CONTRIBUTORY'S LEDGER

Sl. No.	Name and address of contributory	Number of shares or extent of interest held, and amount paid thereon	Calls			Remarks	Returns of share capital			Remarks
			First call		2 nd call/ 3 rd call		Date of return	Date of Payment	Amount paid (Rs.)	
			Date of call and amount called	Amount paid and date of payment	(Repeat columns as under first call)					
1	2	3	4	5	6 to 9	10	11	12	13	14
1.										
2.										

Instructions:

Only contributories settled on the list should be entered in this Register and they should be entered in the same order as in the list.

DISTRIBUTIONS REGISTER

Date on which distribution is made:

Total amount payable in this round of distribution:

Date	Number on list of stakeholders	Particulars	Receipts	Payments
1	2	3	4	5
1.				
2.				

Instructions:

1. Separate pages should be set apart for preferential and ordinary distributions.
2. The payments should be entered as and when they are made. Any amount which is returned unpaid should be re-entered in the account under 'Receipts'.
3. The number in column 2 should be the number of the stakeholders in the list of stakeholders as finally settled.
4. The total amount of unclaimed distribution payable into the Public Account of India, and the amount paid into the Bank with the date of payment, should be shown at the end of the account.

FEE REGISTER

<i>Amount realized on which fee are payable</i>	<i>Amount distributed on which fee are payable</i>	<i>Fee payable on the amounts in the two preceding columns</i>	<i>Total fee payable</i>	<i>Date of payment</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.				
2.				

Instructions:

1. There should be a fresh opening for each year.
2. The fees due to the liquidator should be entered in the Register as soon as the audit of the account for a quarter is completed.

SUSPENSE REGISTER

<i>Date</i>	<i>Particulars</i>	<i>Debit (Rs.)</i>	<i>Credit(Rs.)</i>	<i>Balance (Rs.)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.				
2.				

Instructions:

1. Advances made by the liquidator to any person should be entered in this Register.
2. There should be a separate opening for each person.

DOCUMENTS REGISTER

<i>Sl. No.</i>	<i>Description of document</i>	<i>Date of receipt</i>	<i>From whom received</i>	<i>Reference number of shelf in which document is kept</i>	<i>How disposed of</i>	<i>Remarks</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.						
2.						

Instruction: All documents of title like title-deeds, shares, promissory notes, etc., should be entered in this Register.

BOOKS REGISTER

<i>Date</i>	<i>From whom received</i>	<i>Serial Number</i>	<i>Description of books, including files</i>	<i>Shelf number</i>	<i>How disposed of</i>	<i>Remarks</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.						
2.						

Instruction: All books and files of the corporate person which come into the hands of the liquidator should be entered in this Register.

REGISTER OF UNCLAIMED DIVIDENDS AND UNDISTRIBUTED ASSETS DEPOSITED

<i>Sl. No.</i>	<i>Name of person entitled to the dividend or return</i>	<i>Whether Creditor or Contributory</i>	<i>Number on list of stakeholders</i>	<i>Date of declaration of dividend or return</i>	<i>Rate of dividend or return</i>	<i>Total amount payable</i> <i>(Rs.)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.						
2.						

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson
[ADVT.-III/4/Exty./453/16]